[2021] 6 एस. सी. आर. 333

आर. जनकियामल

वी.

एस. के. कुमारस्वामी (निर्णयित) थ्रू

कानूनी प्रतिनिधि और अन्य

(2016 की सिविल अपील सं. 1537)

30 जून, 2021

[अशोक भूषण और आर. सुभाष रेड्डी, जेजे।]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: Or.XXIII r. 3 – समझौता डिक्री आर। 3 या से। XXIII प्रदान करता है कि जहां यह साबित होता है

न्यायालय को इस बात का संतोष है कि किसी मुकदमे को किसी वैध समझौते या समझौते द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से समायोजित किया गया है, न्यायालय आदेश देगा।

ऐसा समझौता या समझौता दर्ज किया जाना और उसके अनुसार एक डिक्री पारित करना - आर. 3 "वैध समझौता या समझौता" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है-एस. एस. का एक संयुक्त पठन। 10 , 13 और भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 14 इंगित करती है कि जब सहमति जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी, गलत प्रतिनिधित्व या गलती से प्राप्त की जाती है, तो ऐसी सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं है और अनुबंध उस पक्ष के विकल्प पर अमान्य हो जाता है जिसकी सहमति जबरदस्ती, धोखाधड़ी या गलत प्रतिनिधित्व के कारण हुई थी-एक समझौता, जो इसके तहत अमान्य या अमान्य है।

भारतीय अनुबंध अधिनियम को विधिसम्मत नहीं माना जाएगा जैसा कि आर को स्पष्टीकरण द्वारा प्रदान किया गया है। 3 Or.XXIII-अनुबंध अधिनियम, 1872।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: Or.XXIII r. 3 ए-शिकायत में, वादी ने दलील दी कि 06.08.1984 पर दर्ज समझौता नहीं था

धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त वैध समझौता और

गलत निरूपण-वादी का मामला यह था कि उनका प्रतिनिधित्व डी1 द्वारा किया गया था कि समझौता केवल पारिवारिक संपत्ति को बचाने के लिए किया गया था क्योंकि वादी ने व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक को व्यक्तिगत गारंटी दी है-दलीलों ने वादी के मामले को स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया कि समझौता विलेख पर हस्ताक्षर करके समझौते के लिए दी गई सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं थी-इस प्रकार, समझौता वादी के कहने पर अमान्य हो गया।

इस प्रकार, आर के तहत बार। 3 ए आकर्षित होगा।

सहमति आदेशः इसके विरुद्ध चुनौती-समझौता डिक्री को इस आधार पर चुनौती देने के लिए एक समझौते के आधार पर एक सहमति डिक्री के लिए एक पक्ष को कि डिक्री वैध नहीं थी, यानी, यह अमान्य या अमान्य थी, उसी अदालत से संपर्क करना होगा, जिसने

समझौता और सहमति आदेश को चुनौती देने वाला एक अलग मुकदमा है बनाए रखने योग्य नहीं माना गया।

हिंदू कानूनः संयुक्त हिंदू परिवार-हिंदू कानून के तहत, कोई भी

संयुक्त परिवार का सदस्य संयुक्त परिवार से खुद को अलग कर सकता है।

हिंदू अविभाजित परिवार की स्थिति निर्धारित करने के लिए संयुक्त परिवार की स्थिति को समाप्त करने का पक्षों का इरादा एक प्रासंगिक कारक है-तत्काल मामले में, उनकी संपत्तियों को विभाजित करने के लिए तीन शाखाओं का वास्तविक इरादा यह नहीं था कि वे हिंदू अविभाजित परिवार को जारी रखना नहीं चाहते थे, बल्कि उक्त विभाजन भूमि सीमा अधिनियम, 1961-विभाजन विलेख के आवेदन से दूर रहने के उद्देश्य से था।

दिनांकित 07.11.1960 तीन शाखाओं के बीच एक पंजीकृत विभाजन विलेख होने के कारण, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है-मान लीजिए कि संपत्ति को उक्त विभाजन द्वारा तीन शाखाओं में विभाजित किया गया था।

लेकि

न फिर भी

07.11.1960 के बाद, परिवार एक संयुक्त परिवार के रूप में बना रहा-संयुक्त हिंदू परिवार की स्थिति में लौटने के लिए तीन भाइयों के बीच पुनर्मिलन हुआ, जो 07.11.1960 के बाद पक्षों के कृत्यों और आचरण से पूरी तरह से साबित होता है-तीन शाखाओं के नाम पर विभिन्न अचल संपत्तियों की खरीद ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि तीनों शाखाएं संयुक्त थीं और वे तीनों के नाम पर संपत्तियां खरीद रहे थे

शाखाएँ-वादी ने कभी भी 08.03.1981 दिनांकित समझौते या 08.03.1981 के कथित विभाजन को स्वीकार नहीं किया-इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि पक्षकार संयुक्त रहे और तीन शाखाओं के नाम पर खड़ी संपत्तियाँ संयुक्त रहीं जब तक कि सहमति आदेश पारित नहीं किया गया-इस प्रकार, वर्ष 1979 में जब प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर टाटाबाद की आवासीय संपत्ति प्राप्त की गई थी, तो तीनों शाखाएँ संयुक्त हिंदू परिवार का हिस्सा थीं और संयुक्त हिंदू परिवार के एक सदस्य के नाम पर खरीदी गई गृह संपत्ति सभी के लाभ के लिए थी।

और चल संपत्तियों का दावा 08.03.1981 पर किया जाता है, यह निष्कर्ष अप्रतिरोध्य है कि परिवार तब तक जुड़ा हुआ था इस प्रकार, D-1 द्वारा स्थापित सिद्धांत कि तीनों शाखाएं अलग-अलग थीं 07.11.1960 08.03.1981 पर विभाजन के दावे द्वारा अस्वीकार/झूठा किया जाता है।

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 आदेश XXIII नियम 3 में समझौते का प्रावधान है

सूट का। नियम 3 में 1976 के अधिनियम संख्या 104 आर. जनकियामल बनाम द्वारा संशोधन किए गए थे।

एस. के. कुमारस्वामी (निर्णयित) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से

जिसके द्वारा एक परंतुक और एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया था। 1976 के उसी संशोधन अधिनियम द्वारा, एक नया नियम, यानी नियम 3 ए जोड़ा गया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि इस आधार पर डिक्री को दरकिनार करने के लिए कोई मुकदमा नहीं होगा कि जिस समझौते पर डिक्री आधारित है वह वैध नहीं था। [पारस 39,40] [355-ई; 356-बी-सी]

1.2 व्यक्तियों और निकायों के बीच विवादों का निर्धारण कानून द्वारा विनियमित होता है। सभी विधानसभाओं की विधायी नीति विवाद के निर्धारण के लिए एक तंत्र प्रदान करना है ताकि विवाद समाप्त हो सके और समाज में शांति बहाल हो सके। विधायी नीति का उद्देश्य मुकदमेबाजी को अंतिम रूप देना भी है, साथ ही पीड़ित पक्ष की शिकायतों को दूर करने के लिए अपील/संशोधन का उच्च मंच प्रदान करना भी है। नियम 3 ए जिसे ऊपर जोड़ा गया है

संशोधन में प्रावधान है कि इस आधार पर डिक्री को दरकिनार करने के लिए कोई मुकदमा नहीं होगा कि समझौता जिस पर डिक्री आधारित है

समायोजन या संतुष्टि पर पहुँच गया है, इसका निर्णय उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसने समझौता दर्ज किया है। आदेश XXIII के नियम 3 में प्रावधान किया गया है कि जहां यह न्यायालय की संतुष्टि के लिए साबित होता है कि किसी मुकदमे को किसी वैध समझौते या समझौते द्वारा पूरी तरह से या आंशिक रूप से समायोजित किया गया है, तो न्यायालय इस तरह का आदेश देगा समझौता या समझौता दर्ज किया जाना और उसके अनुसार एक डिक्री पारित करना। नियम 3 "वैध समझौता या समझौता" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। संशोधन द्वारा जोड़ा गया स्पष्टीकरण प्रदान करता है कि एक समझौता या समझौता जो भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत अमान्य या अमान्य है, उसे विधिसम्मत नहीं माना जाएगा। [पैरा 41] [356-सी-जी]

अनुबंध अधिनियम में प्रावधान है कि कौन से अनुबंध अमान्य या अमान्य हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 में प्रावधान है कि सभी समझौते अनुबंध हैं यदि वे अनुबंध करने के लिए सक्षम पक्षों की स्वतंत्र सहमति से, एक वैध विचार के लिए और एक वैध समझौते के साथ किए जाते हैं।

उद्देश्य, और इसके द्वारा स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं किए जाते हैं।

यदि स्वतंत्र सहमति की आवश्यकता है तो समझौता अनुबंध नहीं होगा। ए. भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10,13 और 14 का संयुक्त पठन

यह इंगित करता है कि जब सहमति जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी, गलत प्रतिनिधित्व या गलती से प्राप्त की जाती है, तो ऐसी सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं है और अनुबंध उस पक्ष के विकल्प पर अमान्य हो जाता है जिसकी सहमति जबरदस्ती, धोखाधड़ी या गलत प्रतिनिधित्व के कारण हुई थी। एक समझौता, जो भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत अमान्य या अमान्य है, को विधिसम्मत नहीं माना जाएगा जैसा कि आदेश XXIII के नियम 3 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदान किया गया है। [पारस 42,43,44] [356-जी-एच; 357-ए, डी; 358-ए-बी]

1.4 शिकायत से यह स्पष्ट है कि वादी ने दलील दी कि

06.08.1984 पर दर्ज किया गया समझौता धोखाधड़ी और गलत निरूपण द्वारा प्राप्त किया गया कानूनी समझौता नहीं था। वादी का मामला यह था कि उनका प्रतिनिधित्व डी1 द्वारा किया गया था कि समझौता केवल पारिवारिक संपत्ति को बचाने के लिए किया जा रहा है क्योंकि वादी ने वासुदेव मिल्स के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक को व्यक्तिगत गारंटी दी है। दलीलें स्पष्ट रूप से वादी के मामले को स्पष्ट करती हैं कि समझौते पर हस्ताक्षर करके समझौते के लिए दी गई सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं थी। इस प्रकार, वादी के कहने पर समझौता अमान्य हो जाता है। नियम 3 ए मुकदमे को इस आधार पर डिक्री को दरकिनार करने से रोकता है कि जिस समझौते पर डिक्री पारित की गई थी वह विधिसम्मत नहीं था। "वैध" शब्द का उपयोग नियम 3 में किया गया है और नियम 3 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि "एक समझौता या समझौता जो भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत अमान्य या अमान्य है।

; " इस

प्रकार, बार

विधिसम्मत नहीं माना जाएगा।

नियम 3 ए के तहत आकर्षित किया जाएगा यदि समझौता जिसके आधार पर डिक्री पारित की गई थी वह अमान्य या अमान्य थी। [पारस 47,48,49] [359-ए-ई]

बनवारी लाल बनाम। चंदो देवी (श्रीमती) हालांकि एल. आर. और

एन. आर. (1993) 1 एस. सी. सी. 581 [1992] 3 पूरक। एससीआर 524;

एल. आर. के माध्यम से पुष्प देवी भगत (मृत)। साधना राय

(श्रीमती.) वी. राजिंदर सिंह और अन्य। (2006) 5 एस. सी. सी. 566

: [2006] 3 पूरक। एस. सी. आर. 370; आर. राजन्ना बनाम एसआर. वेंकटस्वामी और ओआरएस। (2014) 15 एससीसी 471:

[2014] आर. जनकियामल बनाम। एस. के. कुमारस्वामी (निर्णयित) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से

14 एस. सी. आर. 535; त्रिलोकी नाथ सिंह बनाम अनिरुद्ध सिंह

(मृत) कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य के माध्यम से। (2020)

6 एस. सी. सी. 629-पर निर्भर।

1.5 समझौता डिक्री को इस आधार पर चुनौती देने के लिए एक समझौते के आधार पर एक सहमति डिक्री का एक पक्ष कि डिक्री

वैध नहीं था, यानी, यह अमान्य या अमान्य था, उसी अदालत से संपर्क करना पड़ता है, जिसने समझौता दर्ज किया और सहमति डिक्री को चुनौती देने वाले एक अलग मुकदमे को नहीं माना गया है बनाए रखने योग्य। 1987 के मुक़दमे में, वादी ने यह घोषणा करते हुए एक घोषणा के लिए प्रार्थना की कि 1984 के ओ. एस. संख्या 37 में पारित डिक्री बनावटी और नाममात्र, अनुचित, सांठगांठ, अस्थिर, अमान्य, अप्रवर्तनीय और वादी पर बाध्यकारी नहीं है। वाद में वादी द्वारा लिए गए आधारों के आधार पर

1987 का No.1101, वादी के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय यह था कि उसी मामले में अदालत से संपर्क किया जाए और अदालत को संतुष्ट किया जाए कि समझौता विधिसम्मत नहीं था। निचली अदालत और उच्च न्यायालय के फैसले में कोई त्रुटि नहीं थी कि 1987 का मुकदमा No.1101 आदेश XXIII नियम 3A के तहत वर्जित था। इस प्रकार, 1987 के वाद सं. 1101 में दिनांकित समझौता डिक्री पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था। [पारस 55 और 56] [364-सी-एच]

2.1 अपीलार्थी का मामला यह है कि 07.11.1960 दिनांकित विभाजन विलेख को बचाने के लिए तीन भाइयों के बीच दर्ज किया गया था।

भूमि सीमा कानूनों से संपत्तियाँ। भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत प्रासंगिक तिथि 07.04.1960 थी जिस तारीख को किसी व्यक्ति के हाथों में संपत्तियों की सीमा निर्धारित की जानी थी और चूंकि तीन भाइयों, जिनमें संबंधित तिथि पर संयुक्त परिवार के सदस्य शामिल थे, के पास उस भूमि से अधिक थी जिसकी अनुमति किसी व्यक्ति को दी गई थी, इसलिए संपत्तियों को भूमि से बचाने के लिए एक विभाजन किया गया था।

सीलिंग कानून। इस तर्क को निचली अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह साबित नहीं हुआ है कि किसी भी तरह से भूमि सीमा कानून है।

इसने तीन भाइयों के हाथों में जमीन के विस्तार को प्रभावित किया। [पैरा 74] [369-एच; 370-ए-बी]

2.2 भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम की धारा 5 में अधिकतम सीमा का प्रावधान है।

क्षेत्र। धारा 5 की उप-धारा (1) (ए) के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति के मामले में और प्रत्येक परिवार के मामले में अधिकतम सीमा क्षेत्र

पाँच से अधिक सदस्यों से युक्त 30 मानक एकड़ जमीन थी। 30 मानक एकड़ का आंकड़ा बाद में घटाकर 15 [2021] 6 एस. सी. आर. कर दिया गया।

1972 के तमिलनाडु अधिनियम संख्या 37 द्वारा मानक एकड़। धारा 5 (1) (बी) ने आगे यह प्रावधान किया कि प्रत्येक परिवार के मामले में अधिकतम सीमा क्षेत्र

पाँच से अधिक सदस्यों से युक्त 30 मानक एकड़ होगी और परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए पाँच से अधिक अतिरिक्त 5 मानक एकड़ होगी। इस स्थिति में, हिंदू अविभाजित परिवार, जिसमें संयुक्त परिवार शामिल है, के लिए अधिकतम सीमा क्षेत्र निर्धारित किया जाता है

तीन भाइयों, छत का क्षेत्र 30 मानक एकड़ होगा, जिसके द्वारा परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए पांच एकड़ से अधिक अतिरिक्त भूमि होगी। वर्ष 1960 में तीनों भाइयों के पास जो भूमि थी, वह आईडी1 एकड़ से अधिक थी, जो सीमा 1953 के विभाजन में तीनों भाइयों को प्राप्त हुई थी। इसके बाद तीन भाइयों ने और जमीन का अधिग्रहण किया है। यदि 07.04.1960 विभाजन से पहले तीन भाई अपने संयुक्त परिवार का गठन करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति 30 एकड़ भूमि का हकदार होगा। इस प्रकार, गुणों का तीन के बीच विभाजन

तीनों भाइयों की संपत्तियों के लिए भाई स्पष्ट रूप से फायदेमंद थे। निचली अदालत का दृष्टिकोण कि यह साबित नहीं हुआ है यह स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है कि अधिकतम भूमि सीमा अधिनियम के तहत कोई भी लाभ तीन भाइयों द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। निचली अदालत द्वारा व्यक्त किया गया विचार अधिनियम, 1961 के प्रावधानों की जांच करने के बाद नहीं था। इसके अलावा विभाजन में बयान है कि तीन भाइयों ने पहले ही अचल संपत्ति को विभाजित कर दिया है

01.04.1960 पर संपत्तियाँ स्पष्ट रूप से अधिनियम, 1961 से दूर होने के इरादे से थीं क्योंकि अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत प्रासंगिक तिथि 07.04.1960 थी। [पैरा 75] [370-डी-एच]

2.3 हिंदू कानून के तहत, संयुक्त परिवार का कोई भी सदस्य संयुक्त परिवार से खुद को अलग कर सकता है। पक्षों की मंशा

हिंदू अविभाजित परिवार की स्थिति निर्धारित करने के लिए संयुक्त परिवार की स्थिति को समाप्त करना एक प्रासंगिक कारक है। यह स्पष्ट है कि वास्तविक

अपनी संपत्तियों को विभाजित करने के लिए तीन शाखाओं का इरादा यह नहीं था कि वे नहीं चाहते थे कि हिंदू अविभाजित परिवार जारी रहे, बल्कि उक्त विभाजन का उद्देश्य अधिकतम सीमा अधिनियम, 1961 को लागू करने से बचना था। पक्षकारों का इरादा एक प्रासंगिक तथ्य है जब उन्होंने वर्ष 1960 में अपनी संपत्तियों का विभाजन किया था। [पैरा 76] [371-ए-बी]

2.4 हालाँकि, 07.11.1960 दिनांकित विभाजन विलेख तीन शाखाओं के बीच एक पंजीकृत विभाजन विलेख होने के कारण, समान है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि संपत्तियों को तीन आर. जनकियामल बनाम में विभाजित किया गया था।

एस. के. कुमारस्वामी (निर्णयित) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से

उक्त विभाजन द्वारा शाखाएँ। सवाल यह है कि क्या 07.11.1960 के बाद, परिवार एक संयुक्त परिवार के रूप में बना रहा या संयुक्त परिवार की स्थिति 07.11.1960 पर समाप्त हो गई। अपीलार्थी का मामला जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा भी दबाव डाला गया था, वह यह था कि भले ही विभाजन दिनांक 07.11.1960 स्वीकार कर लिया गया हो; पक्षकार एक संयुक्त परिवार में रहते थे और अपने संयुक्त परिवार की स्थिति को जारी रखते थे। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्क यह था कि संयुक्त हिंदू परिवार की स्थिति में लौटने के लिए तीन भाइयों के बीच पुनर्मिलन हुआ था, जो 07.11.1960 के बाद के पक्षों के कृत्यों और आचरणों से काफी हद तक साबित होता है। हिंदू कानून में पुनर्मिलन की अवधारणा सर्वविदित है। हिंदू संयुक्त परिवार भले ही विभाजित हो सकता है

वापस लौटें और संयुक्त परिवार की स्थिति को जारी रखने के लिए फिर से मिलें। [पारस 77 और 78] [371-सी-ई]

मुक्कू वेंकटरमैया बनाम। मुक्कू तातय्या और ओआरएस। एयर 1943 मैड। 538 ; एम/एस। परमानंद एल. बजाज, बैंगलोर बनाम. आयकर आयुक्त, कर्नाटक, II, बैंगलोर, (1981) एस. सी. सी. ऑनलाइन कर्नाटक 131 जे.; भगवान दयाल बनाम। रेवती देवी एयर 1962 एससी 287: [1962] 3 एस. सी. आर. 440; अनिल कुमार मित्रा और अन्य। वी. गणेंद्र नाथ मित्रा और अन्य। (1997) 9 एस. सी. सी. 725 [1996] 9 पूरक। एससीआर 338; पलानी अम्मल बनाम। मुथुवेन्कटचार्ला मोनीयागर और ओआरएस। ए. आई. आर. 1925 पी. सी. 49-संदर्भित

3.1 पार्टियों का पैतृक घर हेलमेट, सेडपालयम, गाँव करुमथमपट्टी में था जहाँ तीन भाई थे।

उनके पिता के साथ रहते थे। डी. डब्ल्यू. 2 ने अपने बयान में यह भी कहा है कि अपनी शादी के बाद, वह सेडपालयम में पैतृक घर में रहती थी। इसके अलावा तीनों भाइयों ने वर्ष 1963 में हेम्लेट सोमनूर में मकान खरीदा और एक नए घर का निर्माण किया जहां तीन भाई अपने परिवारों के साथ सोमनूर में रहने लगे जो तीन भाइयों के संयुक्त परिवार का नया घर बन गया। नया घर वर्ष 1963 में जमीन खरीदने के बाद बनाया गया था और तीनों भाइयों के परिवार लगभग 1964 में रहने लगे, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सभी भाइयों का इरादा संयुक्त रूप से रहना था और [2021] 6 एस. सी. आर.

संयुक्त हिंदू परिवार के रूप में बने रहें। विभाजन तिथि 07.11.1960 के बाद, तीन शाखाओं ने एक साथ कई अचल संपत्तियां खरीदी हैं। [पैरा 85] [379-डी-एफ]

3.2 तीनों शाखाओं ने संयुक्त व्यवसाय जारी रखा

शाखाएँ स्पष्ट रूप से इस इरादे को दर्शाती हैं कि तीनों शाखाएँ संयुक्त हैं और वे तीनों शाखाओं के नाम पर संपत्तियाँ खरीद रहे हैं। वर्ष 1967 में रंगासामी की मृत्यु के बाद, यह प्रतिवादी नंबर 1 था, जिसने सबसे बड़े होने के नाते परिवार की बागडोर संभाली। वादी और प्रतिवादी No.10, रणगासामी के बेटे उस समय बहुत छोटे थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद वे डी-1 के मार्गदर्शन और नियंत्रण में थे और अभिलेख पर सामग्री से संकेत मिलता है कि यह डी-1 था जिसके मार्गदर्शन में, सभी व्यवसाय किए गए थे। यहां तक कि 1984 का मुकदमा No.37 जो संपत्तियों के विभाजन के लिए दायर किया गया था

प्रतिवादी सं. 1 का उदाहरण, जो उस वाद के वादी द्वारा 1987 के वाद सं. 1101 में लिखित कथन दायर करते समय किया गया है। 1984 के वाद डी-6 के वादी ने 1987 के वाद संख्या 1101 में अपने लिखित बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने प्रतिवादी संख्या 1 के कहने पर 1984 का वाद डी-1 दायर किया है, जो तथ्य निचली अदालत के फैसले के पैराग्राफ 9 में भी नोट किया गया है। [पैरा 86] [380-सी-एफ]

3.3 1987 के मुकदमे No.1101 में, यह केवल डी-1 था, जिसने लिखित बयान दायर किया और गवाह बॉक्स में पेश हुआ। डी-4 भी नहीं

लिखित बयान दायर किया और न ही गवाह के पास आया। यह डी-1 था जो दलील दे रहा था कि विभाजन दिनांक 07.11.1960 के बाद संयुक्त परिवार समाप्त हो गया। डी-1 ने अपने लिखित बयान में और अदालत के समक्ष अपने मौखिक बयान में यह मामला उठाया है कि 08.03.1981 पर संपत्तियों का विभाजन किया गया था और तीन शाखाओं के बीच एक समझौता किया गया था और समझौते को लागू करने के लिए दिनांक 06.08.1984 का समझौता डिक्री पारित की गई थी जो वर्ष 1981 में किया गया था। [पैरा 87] [380-जी-एच; 381-ए] 3.4 08.03.1981 दिनांकित समझौते को वादी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। वादी का मामला यह था कि किसी भी समय आर. जनकियामल बनाम.

एस. के. कुमारस्वामी (निर्णयित) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से

क्या वर्ष 1981 में पक्षों के बीच कोई समझौता किया गया था

तीन शाखाओं के नाम पर स्थित गुणों को विभाजित करें। डी-1 द्वारा साक्ष्य में 08.03.1981 दिनांकित समझौता दायर नहीं किया गया था। समझौता दाखिल नहीं किया गया था और न ही द्वारा प्रदर्शित किया गया था

प्रतिवादी, डी-1। 1984 के ओएस No.37 में डी-1 द्वारा दायर लिखित बयान में समझौते के संबंध में कोई याचिका नहीं ली गई थी।

दिनांकित 08.03.1981। यह पहली बार था जब 1987 के मुकदमे No.1101 में D-1 द्वारा दायर लिखित बयान में 08.03.1981 दिनांकित समझौते का उल्लेख किया गया था। न ही कोई समझौता दिनांकित किया गया 08.03.1981 वर्ष 1981 में तीन शाखाओं के बीच संपत्तियों के विभाजन को साबित करने के लिए दायर किया गया था या साबित किया गया था और न ही रिकॉर्ड पर कोई अन्य सबूत है। [पारस 91,92] [382-जी-एच; 383-ए-बी]

3.5 यह प्रतिवादी संख्या 1 का मामला है कि दिनांकित समझौता डिक्री 06.08.1984 कुछ और नहीं बल्कि इसके कार्यान्वयन के अलावा है

दिनांकित समझौता 08.03.1981। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि डी का मामला 1 यह है कि तीन शाखाओं के नाम पर खड़ी सभी संपत्तियों का विभाजन किया गया था और विभिन्न शाखाओं को आवंटित किया गया था

08.03.1981 , जिसे बाद में लागू किया गया है

सहमति डिक्री दिनांक 06.08.1984। प्रतिवादी के मामले के अनुसार, वासुदेव टेक्सटाइल मिल्स की शाखा को दिया गया था

रंगासामी, कुन्नूर की संपत्ति डी1 द्वारा और सोमनूर की संपत्ति डी-4 द्वारा ले ली गई थी। [पैरा 93] [383-बी-सी] 3.6 जब डी-1 इस मामले के साथ आता है कि सभी अचल संपत्तियों के 08.03.1981 पर विभाजन था

तीन शाखाओं के नाम, जिन्हें 06.08.1984 पर लागू किया गया था, यह निष्कर्ष अटूट है कि परिवार संयुक्त था और यदि तीन शाखाएं संयुक्त हिंदू परिवार का हिस्सा नहीं थीं, तो 08.03.1981 पर किसी भी विभाजन का प्रयास करने का कोई अवसर नहीं था जैसा कि D-1 द्वारा दावा किया गया था। यह तथ्य कि प्रतिवादी संख्या 1 इस मामले के साथ आ रहा है कि 18.03.1981 पर विभाजन था, यह साबित करता है कि डी-1 के मामले के अनुसार तब तक तीन शाखाएँ संयुक्त थीं। [पैरा 94] [383-डी-ई]

3.7 वादी ने कभी भी 08.03.1981 के समझौते या 08.03.1981 के कथित विभाजन को स्वीकार नहीं किया, इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि पक्षकार

संयुक्त रहे और तीन शाखाओं के नाम पर खड़ी संपत्तियां संयुक्त रहीं जब तक कि 06.08.1984 पर सहमति आदेश पारित नहीं किया गया। इस प्रकार, वर्ष 1979 में जब [2021] 6 एस. सी. आर. की आवासीय संपत्ति।

टाटाबाद प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर प्राप्त किया गया था, तीनों शाखाएं संयुक्त हिंदू परिवार का हिस्सा थीं और संयुक्त हिंदू परिवार के एक सदस्य के नाम पर खरीदी गई घर की संपत्ति सभी के लाभ के लिए थी। हालाँकि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने डी-1 द्वारा अनुरोध किए गए 18.03.1981 दिनांकित विभाजन को स्वीकार कर लिया, लेकिन इस तरह के अभिवचन के परिणाम पर विचार नहीं करने में गलती की। जब सभी अचल और चल संपत्तियों के विभाजन का दावा 08.03.1981 पर किया जाता है, तो यह निष्कर्ष अटूट होता है कि तब तक परिवार शामिल था। डी-1 द्वारा स्थापित सिद्धांत कि 07.11.1960 के बाद तीनों शाखाएँ अलग-अलग थीं, के दावे को अस्वीकार/झुठलाया जाता है।

08.03.1981 पर विभाजन। [पारस 95,96,97] [383-ई-एच]

3.8 निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने इस तथ्य पर बहुत जोर दिया है कि तीन शाखाएं अलग-अलग दाखिल कर रही थीं

आय-1967 के बाद कर विवरणी और धन कर विवरणी। संयुक्त हिंदू परिवार का एक व्यक्तिगत सदस्य बहुत अच्छी तरह से आयकर अधिनियम के साथ-साथ धन कर अधिनियम दोनों के तहत अपना अलग-अलग विवरणी दाखिल कर सकता है और इस तरह के विवरणी दाखिल करना परिवार की स्थिति का निर्णायक नहीं था। वादी का पूरा मामला उस परिवार का था

07.11.1960 और D-1, जिन्होंने अकेले लिखित बयान दायर किया था और 08.03.1981 पर विभाजन के मामले के साथ आने के बाद गवाह बक्से में उपस्थित हुए थे, जिसके बारे में उनका दावा है कि समझौता डिक्री द्वारा 06.08.1984 पर लागू किया गया था, यह साबित होता है कि परिवार कम से कम तब तक संयुक्त था, यानी 08.03.1981 या 06.08.1984। इस प्रकार, वर्ष 1979 में, जब टाटाबाद

आवासीय संपत्ति का अधिग्रहण किया गया था, तीनों शाखाएं संयुक्त थीं। [पैरा 98] [384-ए-सी] 3.12 टाटाबाद आवासीय संपत्ति तीनों शाखाओं के लाभ के लिए थी जो इस तथ्य से आगे साबित होती है।

कि उक्त राशि के लिए प्रतिफल का भुगतान डी. डब्ल्यू.-1 द्वारा अपने अलग खाते से या नकद में नहीं किया गया था। यह राशि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्वामी एंड स्वामी प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड से ली गई थी, जिसमें तीनों शाखाएं शेयरधारक और निदेशक थीं। स्वामी एंड स्वामी प्लांटेशन कंपनी ने कंपनी के लिए टाटाबाद में आवासीय संपत्ति नहीं खरीदी थी। स्वामी और स्वामी बागान निजी कंपनी आवासीय संपत्ति की मालिक नहीं है और टाटाबाद में आवासीय संपत्ति तीनों शाखाओं के लाभ के लिए एक संयुक्त पारिवारिक संपत्ति है।

[पैरा 99] [384-सी-ई] आर. जनकियामल बनाम।

एस. के. कुमारस्वामी (निर्णयित) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से

5. टाटाबाद में तीनों शाखाओं का बराबर हिस्सा है।

आवासीय संपत्ति, अर्थात, 1987 के मूल वाद No.1101 में शिकायत की अनुसूची 'बी' की मद संख्या एक्स। यह आवासीय संपत्ति है

1984 के O.S.No.37 का हिस्सा नहीं होने के कारण, वादी द्वारा उक्त संपत्ति के विभाजन की मांग करने पर कोई रोक नहीं है। तदनुसार, वादी/प्रतिवादी संख्या 7, प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 4 मुकदमे की संपत्ति की अनुसूची 'बी' की उपरोक्त वस्तु संख्या एक्स में संयुक्त रूप से एक तिहाई हिस्से के हकदार हैं। [पैरा 100] [384-ई-जी]

मामला कानून संदर्भ

[1992] 3 पूरक। एससीआर 524

पै

रा 49

उस पर भरोसा करें

[2006] 3 पूरक। एससीआर 370

उस पर भरोसा करें

पै

रा 51

[2014] 14 एससीआर 535

उस पर भरोसा करें

पै

रा 52

(2020) 6 एस. सी. सी. 629

उस पर भरोसा करें

पै

रा 54

पै

रा 79

संदर्भित किया गया है

ए. आई. आर 1925 पी. सी. 49

[1962] 3 एससीआर 440

संदर्भित किया गया है

पै

रा 83

[1996] 9 पूरक। एससीआर 338

संदर्भित किया गया है

पै

रा 84

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1537

2016 का

उच्च न्यायालय के 23.11.2011 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2000 के ए. एस. No.281 में मद्रास के न्यायपालिका।

के साथ सिविल अपील सं। 1538 2016 का

वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता। , गौरव अग्रवाल, एस. रविशंकर, विकास मेहता,

वरुण सिंह, सुश्री अंकिता गुप्ता, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

कपिल सिब्बल, एस. नागमुथु, वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री शोभा

राममूर्ति, अरुणाभ चौधरी, अंकुर चावला, सुश्री पल्लवी लंगर, अरुण मोहन, निजाम पाशा, आर. के. मोहित गुप्ता, कार्तिक, वी. पी. सेनगोट्टुवेल, एस. रविशंकर, सुश्री यमुना नचियार, के. आर. निशांत, अक्षय कुमार ए., विकास मेहता, वरुण सिंह, सुश्री अंकिता गुप्ता, श्रीमती प्रभा स्वामी, के. वी. मोहन, राहुल प्रताप, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

21] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अशोक भूषण, जे।

डिवीजन बेंच को चुनौती देते हुए ये दोनों अपील दायर की गई हैं

अपीलार्थियों द्वारा दायर 2000 के ए. एस. No.281 और 1999 के ए. एस. No.332 को खारिज करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का दिनांकित <आई. डी. 1 का निर्णय।

क्रमशः। दलों को 1987 (एस. आर. सोमसुंदरम बनाम एस. एस. के. कुमारस्वामी)। 2016 के C.A.No.1537 में अपीलार्थी, आर. जानकीम्मल, O.S.No में प्रतिवादी संख्या 7 थे। 1987 का 1101 जबकि 2016 के C.A.No.1538 में अपीलार्थी एस. आर. सोमसुंदरम O.S.No में वादी थे। 1987 का 1101। जानकीम्मल की माँ है

सोमसुंदरम। इन दोनों अपीलों पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक प्रासंगिक तथ्य और घटनाएँ इस प्रकार हैं:

2. पार्टियाँ तमिल के कोयंबटूर जिले के पट्टनम से आई थीं।

नाडू। हम परिवार के वंशावली वृक्ष को देख सकते हैं जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए है:

कंदस्वामी गौंडर (मृत्यु 1964 में)

1

|

सेन्नियामलाई (मृत्यु हो गई)

2 पत्नी के बेटे

1 सेंट पत्नी का बेटा

1

1

1

1

कुमारस्वामी डी-1

एस. के.

चिन्नास्वामी डी-4

रंगासामी

(1967 में मृत्यु हो गई।

Smt.C.Kam

algm D-5

सुंदरम्बल डी-2

श्रीमती. जानकीम्मल डी-7

1

|

सोमसुंदरम सरस्वती

षण्मुघा

वादी

वलौयुथम

डी-8

डी-10

कंडावदीवल डी-3

1

C.Senthil कुमारवेल सत्यवती पोनमीनाक्षी डी-6 आर. जनकियामल बनाम।

एस. के. कुमारस्वामी (निर्णयित) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से [अशोक भूषण, जे.]

3. वादी, एस. आर. सोमसुंदरम और उनकी माँ, जानकीम्मल, जो इन दोनों अपीलों में अपीलार्थी हैं, की शाखा से संबंधित हैं।

रंगासामी गौंडर जबकि अन्य दो शाखाएँ एस. के. की हैं। कुमारसामी, डी-1 और एस. के. चिन्नासामी, डी-4। तीन भाई अपने पिता ए. वी. कंदासामी गौंडर के साथ संयुक्त परिवार में रह रहे थे।

4. ये अपीलें तीन शाखाओं, रंगसामी, कुमारसामी और चिन्नासामी से संबंधित हैं। वर्ष 1954-55 में, तीन भाइयों ने विभिन्न संपत्तियां खरीदीं और लक्ष्मी राइस मिल्स नामक चावल मिल का व्यवसाय शुरू किया और 1976 में स्वामी टेक्सटाइल्स भी शुरू किया, जो एक मैच था। कारखाना, एक स्लेट कारखाना, आरा मिल, लकड़ी का व्यवसाय और बिजली करघा संयुक्त परिवार के धन से निकलता है। 07.11.1960 पर तीन भाइयों के बीच संपत्तियों के साथ दिनांक 27.09.1953 के पंजीकृत विभाजन विलेख के अनुसार उन्हें आवंटित संपत्तियों के संबंध में एक विभाजन विलेख दर्ज किया गया था।

तीन भाइयों द्वारा 1/3 के अनुपात में खरीदा गया। बंटवारे के बाद भी तीन भाई एक ही छत के नीचे रहते रहे और आगे बढ़ते रहे।

5. वर्ष 1975 में, प्रतिवादी संख्या के नाम पर वेदपट्टी गाँव में 50 एकड़ भूमि खरीदी गई थी। 1 , 4 , 10 और वादी। वर्ष 1978 में कोयंबटूर के टाटाबाद में एक भव्य बंगला खरीदा गया था। प्रतिवादी No.10, जो भारतीय सेना में कप्तान था, [2021] 6 एस. सी. आर. में वापस आ गया।

कोयंबटूर ने पारिवारिक व्यवसाय और संपत्तियों की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। वर्ष 1973 से उन्होंने कुन्नूर में संपत्तियों की देखभाल करना शुरू कर दिया। सोमसुंदरम, वादी ने कोयंबटूर और चेन्नई में अपनी पढ़ाई शुरू की और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 1979 में कोयंबटूर वापस आ गए।

6. कोयंबटूर में एक वासुदेव इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो 1967 से परिसमापन में थी, को कोयंबटूर के आधिकारिक परिसमापक से पट्टे पर लिया गया था।

मद्रास उच्च न्यायालय में श्रॉफ ने प्रतिवादी नंबर 4, एस. के. चिन्नासामी के साथ मिलकर वासुदेव इंडस्ट्रीज लिमिटेड को चलाने के लिए एक साझेदारी फर्म का गठन किया।

प्रतिवादी नंबर 1, एस. के. कुमारसामी को वासुदेव इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मामलों को देखने के लिए महाप्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्ष 1981 में 1956 की कंपनी याचिका No.39 में एक आवेदन दायर किया गया था। प्रतिवादी

नं. 1, एस. के. कुमारसामी ने 1981 के कंपनी आवेदन No.320 के समर्थन में एक हलफनामा दायर किया जिसमें अनुरोध किया गया कि परिसमापन कार्यवाही को बंद कर दिया जाए। 30.04.1981 पर, मद्रास उच्च न्यायालय ने निर्देश देते हुए आदेश पारित किया

ऋणदाताओं की बैठक बुलाना। लेनदारों की बैठक में 09.06.1981 पर प्रस्तुत एक मसौदा योजना को मंजूरी दी गई, मद्रास उच्च न्यायालय ने 22.01.1982 पर एक आदेश पारित किया जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दायर आवेदन को अनुमति दी गई, परिसमापन कार्यवाही पर स्थायी रूप से रोक लगा दी गई और निदेशक मंडल द्वारा वासुदेव इंडस्ट्रीज लिमिटेड को चलाने की अनुमति दी गई। 03.02.1982 पर मिलों को निदेशक मंडल के नियंत्रण में लाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें वादी, प्रतिवादी संख्या। 1 , 4 और 10. वासुदेव इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नाम बदलकर वासुदेव कर दिया गया। कपड़ा मिल्स। वर्ष 1983 में वासुदेव टेक्सटाइल्स मिल्स (इसके बाद "मिल्स" के रूप में संदर्भित) ने पंजाब नेशनल बैंक से ऋण प्राप्त किया जिसमें वादी और प्रतिवादी द्वारा व्यक्तिगत गारंटी भी दी गई थी, जो निदेशक थे। वादी और प्रतिवादी संख्या 10 को भी वर्ष 1984 में प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया था। स्वामी एंड स्वामी कंपनी, जो पहले पट्टे पर मिल चला रही थी, को वर्ष 1984 में भंग कर दिया गया था। हालांकि मिल्स का संचालन निदेशक मंडल द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन वर्ष 1983,1984 और 1985 में संचित नुकसान मिल्स के लाभ से अधिक था।

7. <आई. डी. 2 पर, सी. सेंथिल कुमारवेल, प्रतिवादी संख्या 6 और एस. के. चिन्नासामी के बेटे, प्रतिवादी संख्या 4 ने 1984 का ओ. एस. <आई. डी. 1 दायर किया। अन्य बातों के साथ-साथ, विभाजन और उसे छठे हिस्से के आवंटन के लिए। 1984 के सेंथिल कुमारवेल के O.S.No.37 में, वादी इस मामले के साथ आया कि

वादी और प्रतिवादी सं। 1 , 3,4 , 8,9 और 10 संयुक्त परिवार के सदस्य थे। 1984 के O.S.No.37 में, जानकीम्मल को प्रतिवादी संख्या 8, षण्मुगवेलायुथम को प्रतिवादी संख्या 9, सोमसुंदरम को आर. जानकीमल बनाम के रूप में शामिल किया गया था।

एस. के. कुमारस्वामी (निर्णयित) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से [अशोक भूषण, जे.]

प्रतिवादी सं. 10 और सरस्वती प्रतिवादी सं. 11 के रूप में। शिकायत के मामले में,

यह कहा गया था कि तीन शाखाओं के बीच 07.11.1960 दिनांकित पंजीकृत विभाजन विलेख के बाद भी, प्रतिवादी Nos.1,4 और मृतक के. रंगासामी संयुक्त रूप से रहते रहे और संयुक्त रूप से व्यवसाय करते रहे। तीनों शाखाएँ एक साथ रहती थीं। शिकायत में आगे कहा गया था कि आय की बचत और पैतृक संपत्ति को गिरवी रखने से व्यवसाय के लिए आवश्यक पूंजी मिल गई और व्यवसाय का विस्तार किया गया। समय-समय पर। यह भी दलील दी गई कि वादी सेंथिल कुमारवेल छठे हिस्से के हकदार हैं। मृतक के. रंगासामी की शाखा का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिवादी Nos.8 से 11 तक, सभी सूट संपत्तियों में संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से के हकदार थे। मुक़दमे में वादी ने निम्नलिखित राहत की प्रार्थना की थीः

में वर्णित अचल सूट संपत्तियों को विभाजित करना

" अ)

अनुसूची 'बी', 'डी' और 'ई' और अनुसूची 'सी' में आइटम 1 से 9 को इसके तहत छह बराबर शेयरों में विभाजित किया गया है।

अच्छी और खराब मिट्टी का संदर्भ दें और इस तरह का एक हिस्सा आवंटित करें

उसे अलग अधिकार के साथ;

ख)

मद 10 में उल्लिखित शेयरों में छठे हिस्से का एक हिस्सा आवंटित करना और

11 अनुसूची 'सी' और अनुसूची 'डी' की मद 2 का वर्णन किया गया है

इसके नीचे;

(ग)

प्रतिवादियों को मुकदमे की लागत का भुगतान करने का निर्देश देना; "

8. शिकायत अनुसूची 'बी' में पल्लडम में पैतृक भूमि शामिल थी।

और सदपालयम हेलमेट में घर के साथ समलापुरम गाँव। अनुसूची 'सी' में विभिन्न अचल संपत्तियां शामिल थीं और इसमें आवासीय भवन, मेसर्स के शेयर शामिल थे। स्वामी और स्वामी प्लांटेशन (पी) लिमिटेड कुन्नूर और मेसर्स के शेयर। वासुदेव इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी उल्लेख किया गया था

प्रतिवादी सं। 1 , 3 , 4,9 और 10, लेकिन उन्हें उन संपत्तियों के संबंध में केवल सह-भागीदार माना जाना चाहिए। यह दलील दी गई थी कि तीन 1960 के विभाजन में शाखाओं को शेयर आवंटित किए गए थे और पक्षकारों द्वारा संयुक्त रूप से रहना जारी रखने के मुकदमे को अस्वीकार कर दिया गया था।

9. 1984 के O.S.No.37 में, आदेश XXIII नियम के तहत एक आवेदन

3 वादी द्वारा 06.08.1984 पर दायर किया गया था जिसमें वादी और प्रतिवादियों के हस्ताक्षर थे। अनुसूची [2021] 6 एस. सी. आर. में आदेश XXIII नियम 3 के तहत आवेदन में।

' ए 'से अनुसूची' जे 'तक, संपत्तियों की विभिन्न वस्तुओं को सूचीबद्ध किया गया और परिवार के विभिन्न सदस्यों को आवंटित किया गया। आदेश XXIII नियम 3 के तहत आवेदन के आधार पर, कोयंबटूर के अधीनस्थ न्यायाधीश ने 6.8.1984 दिनांकित एक आदेश पारित किया और समझौता याचिका के आधार पर डिक्री तैयार करने का निर्देश दिया।

10. समझौता आदेश में हालांकि विभिन्न कृषि संपत्तियों, घर की संपत्तियों और शेयरों को दो अन्य लोगों को आवंटित किया गया था एस. के. कुमारसामी और एस. के. चिन्नासामी की शाखाएँ, लेकिन रंगसामी की शाखा को केवल वासुदेव इंडस्ट्रीज में शेयर आवंटित किए गए थे जो परिसमापन के अधीन थे और निदेशक मंडल द्वारा संचालित किए जाने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांक 1 के आदेश के तहत लिए गए थे।

11. प्रतिवादी संख्या 10 के नाबालिग बच्चों ने O.S.No दायर किया। 1987 का 827 उनकी माँ के माध्यम से दिनांकित समझौता डिक्री को चुनौती देता है

06.08.1984 इस आधार पर कि वे इसमें पक्षकार नहीं थे। 1987 के 03.08.1987 O. S. No.1101 पर रंगासामी के दोनों बेटों, यानी, S. R. षण्मुग्नवेलायुथम और S. R. सोमसुंदरम द्वारा दायर किया गया था।

1987 के ओ. एस. No.1101 में प्रतिवादी संख्या। 1,2 और 3 ने अपने लिखित बयान दायर किए जहाँ यह अनुरोध किया गया कि तीन शाखाओं के बीच 08.03.1981 पर समझौता था जहाँ प्रतिवादी संख्या 1 को रु। 4 प्रतिवादी संख्या 4 को लाख और वादी को रुपये का भुगतान करना था। 7 प्रतिवादी संख्या 4 को लाख और चूंकि प्रतिवादी संख्या 4 को भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए उनके बेटे के माध्यम से मुकदमा दायर किया गया था। यह भी अनुरोध किया गया कि 06.08.1984 दिनांकित समझौता, 08.03.1981 दिनांकित पहले के समझौते को प्रभावी बनाना था। 1987 के ओ. एस. No.827 में, नाबालिग की माँ द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि उन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 के साथ समझौता किया था इसलिए मुकदमे को वापस लेने की अनुमति मांगी थी। 10.02.1993 पर, 1987 के O. S. No.827 को वापस ले लिया गया था, उसी तारीख को षण्मुगवेलायुथेम, जो 1987 के O.S.No.1101 में पहले वादी थे, ने मुकदमे से खुद को वापस ले लिया और मुकदमे में प्रतिवादी No.10 के रूप में स्थानांतरित कर दिया गया। लिखित बयान जानकीम्मल, प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा वादी के मामले का समर्थन करते हुए दायर किया गया था और उसके हिस्से के विभाजन के लिए भी प्रार्थना की गई थी। सेंथिल कुमारवेल, जो 1984 के सूट No.37 में वादी थे, ने 1987 के O.S.No.1101 में एक लिखित बयान दायर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने एस. के. कुमारसामी के कहने पर 1984 का सूट No.37 दायर किया, प्रतिवादी संख्या 1 और डिक्री दिनांक 06.08.1984 नकली और नाममात्र थी, और इसे प्रभावी नहीं किया जाना था। प्रतिवादी संख्या द्वारा अतिरिक्त लिखित बयान दायर किए गए थे। 1 3 तक। प्रतिवादी No.10 ने भी इसका समर्थन करते हुए लिखित बयान दायर किया

प्रतिवादी सं. 1 का मामला। प्रतिवादी सं. सोमसुंदरम द्वारा दायर लिखित बयानों का जवाब वादी सोमसुंदरम द्वारा दायर किया गया था। 1 3 तक।

आर. जनकियामल बनाम। एस. के. कुमारस्वामी (निर्णयित) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से [अशोक भूषण, जे.]

12. वादी की ओर से पाँच गवाहों से पूछताछ की गई।

सोमसुंदरम, वादी पी. डब्ल्यू. 1 के रूप में पेश हुए। वादी ने एक्सएचएस दायर किया। ए 1 से ए-55। प्रतिवादियों की ओर से चार गवाहों से पूछताछ की गई। जानकीम्मल डी. डब्ल्यू. 2 के रूप में दिखाई दिए जबकि एस. के. कुमारसामी दिखाई दिए। डी. डब्ल्यू. 1. प्रतिवादियों की ओर से Exh.B-1 से B-104 को चिह्नित किया गया था। एक्सएच। एक्स-I से एक्स-27 तक को गवाहों के माध्यम से चिह्नित किया गया है।

13. निचली अदालत ने पांच मुद्दे और छह अतिरिक्त मुद्दे तैयार किए। अतिरिक्त मुद्दों में से एक यह था कि क्या मुकदमा सी. पी. सी. के आदेश XXIII नियम 3 ए के तहत बनाए रखने योग्य नहीं है। निचली अदालत ने अपने दिनांक 30.09.1997 के फैसले के माध्यम से मुकदमे को खारिज कर दिया। निचली अदालत ने प्रतिवादी Nos.1 की 3 की याचिका को बरकरार रखा कि 1987 के O.S.No.1101 को आदेश XXIII नियम 3A सी. पी. सी. द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। निचली अदालत ने 07.11.1960 दिनांकित विभाजन विलेख और 08.03.1981 दिनांकित समझौते को भी बरकरार रखा। निचली अदालत ने कहा कि वर्ष 1960 के बाद पूरा परिवार संयुक्त परिवार के रूप में नहीं रह रहा था और जहां तक संपत्तियों की बात है तो तीनों शाखाएं सह-मालिक हैं।

वे चिंतित थे और साझेदारी व्यवसाय चला रहे थे। मुकदमे को खारिज करने वाले निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में दो अपील दायर की गईं। 1999 का A.S.No.332 वादी सोमसुंदरम द्वारा दायर किया गया था और 2000 का A. S. No.281 जनकियम्मल प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा दायर किया गया था।

14. उच्च न्यायालय ने अपील में निर्धारण के लिए बिंदु पर ध्यान दिया है, अर्थात, क्या O.S.No। 1987 का 1101 सी. पी. सी. के आदेश XXIII नियम 3 ए में निहित प्रावधानों के आलोक में बनाए रखने योग्य है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि पुनर्विचार के लिए उपरोक्त बिंदु पर दर्ज किए जाने वाले निष्कर्ष के अनुसार अपीलों का निपटारा किया जा सकता है, हालांकि, उसने विचार के लिए कोई अन्य बिंदु तैयार नहीं किया है, हालांकि संबंधित वकील द्वारा व्यापक तर्क दिए गए हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद 163 और 164 को पुनः प्रस्तुत करना उपयोगी है, जो निम्नलिखित प्रभाव वाले हैं:

" 163. उपरोक्त अपीलों में विचार के लिए जो निर्धारण का मुद्दा उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या घोषणा करने की मांग करने वाला मुकदमा

उप-न्यायालय, कोयम्बटूर की फाइल पर 1984 के O.S.No.37 में पारित डिक्री बनावटी और नाममात्र, अधिकार से परे, मिलीजुली, अस्थिर, अमान्य, अप्रवर्तनीय है और वादी पर बाध्यकारी नहीं है, सी. पी. सी. के आदेश 23 नियम 3 और सी. पी. सी. के आदेश 23 नियम 3-ए में निहित प्रावधानों के आलोक में बनाए रखने योग्य है?

164. चूंकि अपीलों का निपटारा निर्धारण के लिए उपरोक्त बिंदु पर दर्ज किए जाने वाले निष्कर्ष के आधार पर किया जा सकता है, इसलिए हमारे पास [2021] 6 एस. सी. आर. नहीं है।

बैंक। इसलिए, मुकदमे के आधार पर कि उन्होंने प्रतिवादी संख्या 1 के प्रतिनिधित्व पर समझौता विलेख पर हस्ताक्षर किए और वादी और प्रतिवादी ने वासुदेव इंडस्ट्रीज के लिए प्राप्त ऋण के लिए व्यक्तिगत गारंटी दी थी लिमिटेड, पारिवारिक संपत्तियों को बैंक के दावे से बचाने के लिए, संपत्तियों को केवल प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 4 के नाम पर रखा जाना चाहिए, लेकिन वादी और प्रतिवादियों का अधिकार बरकरार रखा जाएगा।

16. उच्च न्यायालय ने कहा कि यह साबित नहीं हुआ है कि कोई

वादी द्वारा व्यक्तिगत गारंटी दी गई थी, वादी द्वारा प्रस्तुत आधार को ही बाहर कर दिया जाता है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि मुकदमा आदेश XXIII नियम 3 ए सी. पी. सी. द्वारा वर्जित था और एकमात्र उपलब्ध उपाय उसी मुकदमे में समझौते के आदेश पर सवाल उठाना था। उच्च न्यायालय ने दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित होकर ये दोनों याचिकाएं दायर की गई हैं।

17. हमने अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री वी. गिरि और श्री गौरव अग्रवाल को सुना है। श्री कपिल सिब्बल, विद्वान वरिष्ठ वकील, प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए हैं। श्री एस. नागमुथु, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रतिवादी No.11 और अन्य प्रतिवादियों की ओर से पेश हुए हैं।

18. आर. जानकीम्मल की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री V.Giri ने प्रस्तुत किया कि सूट No.37 में दिनांकित 06.08.1984 का समझौता आदेश

1984 अनुचित, असमान और धोखाधड़ी है। श्री गिरि प्रस्तुत करते हैं कि जानकीम्मल, जो 1984 के सूट No.37 में प्रतिवादी संख्या 8 थे, समझौता आवेदन या इसकी शर्तों से अवगत नहीं थे। जानकीम्मल एक विधवा है जो केवल तमिल जानती है, उसने अंग्रेजी लिखित पत्रों पर हस्ताक्षर किए जो डी-1 की पत्नी डी. डब्ल्यू-2 द्वारा उसके पास लाए गए थे। उन्होंने कभी किसी वकील को नियुक्त नहीं किया। विद्वान वकील श्री पी. आर. थिरुमालनेसन की कभी सगाई नहीं हुई थी।

उसके द्वारा। वह कभी भी अदालत में नहीं गई और न ही आर. जनकियामल बनाम पर अदालत के समक्ष पेश हुई।

एस. के. कुमारस्वामी (निर्णयित) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से [अशोक भूषण, जे.]

06.08.1984 . परिवार के पास कई सौ एकड़ जमीन, कई घर और अन्य कई संपत्तियां थीं, लेकिन समझौते के आदेश में उन्हें 200 शेयर आवंटित किए गए थे जो श्रीमती के नाम पर थे। कमलम, डी. डब्ल्यू.- एक बीमार मिल के 2, यानी वासुदेव मिल।

19. उन्हें अपने दिवंगत पति रंगासामी से विरासत में मिली संपत्तियां और उनके पति की मृत्यु के बाद उनके नाम पर खरीदी गई कई संपत्तियां उन्हें एक इंच भी जमीन दिए बिना डी-1 और डी-4 की शाखाओं को आवंटित कर दी गईं। डी-1 और डी-4 की पत्नियों डी-2 और डी-5 को भी शेयर आवंटित किए गए थे, जिनके पास पहले से कोई अधिकार नहीं हैं। जानकीम्मल और उनके बेटे सोमसुंदरम को कोई पुरस्कार नहीं मिला।

20. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि तीन भाइयों का परिवार संयुक्त रूप से रहता था और विभाजन की तारीख के बाद भी संयुक्त परिवार बना रहा 07.11.1960 और तीन शाखाओं के नाम पर कई संपत्तियों का अधिग्रहण किया। परिवार के पास कई घरों के साथ विभिन्न स्थानों पर 260 एकड़ से अधिक भूमि थी, लेकिन जानकीम्मल या उनके बेटों को कोई अचल संपत्ति आवंटित नहीं की गई थी।

21. 1984 का ओ. एस. No.37 एस. के. के कहने पर दायर किया गया था।

सी. सेंथिल कुमारवेल द्वारा कुमारसामी, S.K.Chinnasamy के पुत्र। सी. सेंथिल कुमारवेल ने 1987 के सूट No.1101 में अपने लिखित बयान में दलील दी है कि 1984 का सूट नंबर 37 उनके द्वारा एस. के. कुमारसामी, डी-1 के कहने पर दायर किया गया था। सी. सेंथिल कुमारवेल ने आगे तर्क दिया कि 1984 के ओ. एस. No.37 में डिक्री नकली और नाममात्र थी। जानकीम्मल को आवंटित 200 शेयर दिनांक 06.08.1984 के समझौते के आदेश के अनुसार जो श्रीमती के नाम पर थे। कमलम को कभी भी जनकैयम्मल में स्थानांतरित नहीं किया गया। जानकीम्मल ने 1987 के मुकदमे No.1101 के वाद मामले का पूरा समर्थन किया।

22. डी-1 द्वारा अनुरोध के अनुसार 08.03.1981 दिनांकित विभाजन समझौता केवल एक काल्पनिक कहानी थी। अदालत में ऐसा कोई समझौता दायर नहीं किया गया था। न ही ओ. एस. में D.1-3 द्वारा दायर लिखित बयान में इसका अनुरोध किया गया था।

1984 का No.37। 08.03.1981 दिनांकित समझौते के न होने के बावजूद न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने पर, विचारण न्यायालय ने दिनांक 30.09.1997 के अपने निर्णय में दिनांक 08.03.1981 के समझौते द्वारा विभाजन के तथ्य को गलती से स्वीकार कर लिया था और प्रतिवादी संख्या 1 के मामले को स्वीकार कर लिया था कि दिनांक 06.08.1984 की समझौता डिक्री को दिनांकित 08.03.1981 को प्रभावी बनाना था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

23. वर्ष 1981 में कोई विभाजन प्रभावित नहीं हुआ और परिवार एक संयुक्त परिवार के रूप में बना रहा। 1984 के O. S. No.37 में, टाटाबाद में घर की संपत्ति जो D-1 के नाम पर थी, को शामिल नहीं किया गया था, कौन सी संपत्ति संयुक्त परिवार निधि द्वारा खरीदी गई थी और तीनों शाखाओं में हिस्सेदारी थी। टाटाबाद में घर जिसका उल्लेख 1987 के वाद संख्या 1101 की अनुसूची सी में मद No.10 में किया गया था।

24. प्रतिवादी संख्या 1 की दलील कि दिनांकित 08.03.1981 समझौते के तहत, वादी को रु। सात लाख से डी-4 और डी-1 को रु। चार लाख से डी-4 सभी डी-1 द्वारा स्थापित काल्पनिक कहानियाँ थीं। न तो कोई समझौता 08.03.1981 पर हुआ और न ही वादी द्वारा D-4 को कोई राशि का भुगतान किया जाना था। टाटाबाद में वर्ष 1978 में संयुक्त परिवार निधि से खरीदा गया घर 1984 के ओ. एस. No.37 में शामिल नहीं था और घर में परिवार के सभी सदस्यों का हिस्सा था। रुपये की राशि, जो जानकीम्मल को उसके पति की मृत्यु के बाद बीमा निगम से प्राप्त हुई थी, उसे दे दी गई थी।

प्रतिवादी संख्या 1, जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया गया था। द हाई अदालत ने जानकीम्मल के मामले पर विचार नहीं किया।

25. सोमसुंदरम की ओर से 2016 की सिविल अपील संख्या 1538 में पेश हुए विद्वान वकील श्री गौरव अग्रवाल ने प्रस्तुत किया कि वादी

भूमि और घरों सहित उनकी अचल संपत्तियों से वंचित किया गया था और दिनांक 06.08.1984 के समझौता डिक्री में केवल बेकार के हिस्से दिए गए थे। वह प्रस्तुत करता है कि 1987 का मुकदमा No.1101 वादी द्वारा दायर किया गया था

दिनांकित 06.08.1984 डिक्री को अमान्य, अप्रवर्तनीय और धोखाधड़ी घोषित करें।

26. यह प्रस्तुत किया जाता है कि वादी को डी 1 द्वारा 06.08.1984 पर अदालत में ले जाया गया था और उस पर समझौता आवेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था।

यह अभ्यावेदन कि चूंकि वादी और डी-10 ने पंजाब नेशनल बैंक से वासुदेव टेक्सटाइल मिल्स के लिए लिए गए ऋण के लिए व्यक्तिगत गारंटी दी थी, इसलिए उनका नाम पारिवारिक संपत्ति को बचाने के लिए कोई अचल संपत्ति नहीं होनी चाहिए। वादी को डी-1 द्वारा आश्वासन दिया गया था कि अचल संपत्ति में उसका अधिकार समझौता डिक्री से प्रभावित नहीं होगा क्योंकि 06.08.1984 दिनांकित डिक्री को प्रभावी नहीं बनाया जाएगा।

27. यह प्रस्तुत किया जाता है कि में संपत्तियों का आवंटन

समझौता आदेश अनुचित है। समझौता आदेश प्राप्त करने में वादी के साथ-साथ अदालत में भी धोखाधड़ी की गई थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आदेश XXIII नियम 3A उस मामले को नियंत्रित नहीं करेगा जहां अदालत में धोखाधड़ी की जाती है। 1984 का मुकदमा संख्या 37 कार्रवाई के भ्रामक कारण पर दायर किया

गया था, आदेश XXIII नियम 3A के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होगा। उच्च न्यायालय ने यह पता लगाने के बाद कि मुकदमा आदेश XXIII नियम 3 ए के तहत वर्जित है, आर. जनकियामल बनाम नहीं है।

एस. के. कुमारस्वामी (निर्णयित) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से [अशोक भूषण, जे.]

अन्य मुद्दों में प्रवेश किया। 1978 में खरीदी गई टाटाबाद की घर की संपत्ति को 1984 की O.S.NO.37 की अनुसूची में शामिल नहीं किया गया था, जो संपत्ति 1987 के सूट No.1101 में शामिल की गई थी, इसलिए, टाटाबाद में घर की संपत्ति में हिस्सेदारी पूरी तरह से बनाए रखने योग्य थी। वादी ने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में स्नातक पूरा कर लिया है। वासुदेव इंडस्ट्रीज एक पारिवारिक संस्था नहीं थी, जो मुकदमेबाजी के तहत थी और लाभ कमाने वाला उद्यम नहीं थी। 06.08.1984 दिनांकित सहमति आदेश पर कभी कार्रवाई नहीं की गई। 1987 में इस मिल को पुनर्जीवित और बंद नहीं किया जा सका। द.

प्रतिवादी नंबर 1 ने 1989 तक मिल के मामलों का प्रबंधन करना जारी रखा जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया।

28. श्री कपिल सिब्बल ने अपीलकर्ताओं की दलीलों का खंडन करते हुए तर्क दिया कि तीन शाखाओं के बीच दिनांकित विभाजन को लागू किया गया था। 1960 के विभाजन के आधार पर तीन शाखाओं द्वारा आयकर विवरणी दाखिल की गई थी। 1981 में एक व्यवस्था की गई थी।

जिसके तहत डी-1 को कुन्नूर में संपत्तियां लेनी थीं, डी-4 को सोमनूर में संपत्तियां लेनी थीं, जबकि वादी और प्रतिवादी संख्या 1 ने फैसला किया वासुदेव टेक्सटाइल्स मिल्स को लें। 1984 का मुकदमा No.37 डी-4 के बेटे द्वारा उनके कहने पर दायर किया गया था।

29. श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि 1984 के मुकदमे में समझौते पर निर्णय लिया गया है जहां सभी प्रतिवादियों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जानकीम्मल के साथ-साथ सोमसुंदरम सहित आवेदन। द.

प्रतिवादी Nos.7 से 11 की ओर से वकील थिरुमलनेसन द्वारा वकलत्नमा दायर किया गया था, जिन्होंने प्रतिवादी 8 से 11 का प्रतिनिधित्व किया था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि वादी और डी-10 सभी शिक्षित व्यक्ति थे और उन्होंने हस्ताक्षर किए थे समझौता आवेदन, उनके लिए यह तर्क देने के लिए खुला नहीं है कि उन्होंने किसी गलत निरूपण या धोखाधड़ी के तहत आवेदन पर हस्ताक्षर किए हैं।

30. वादी और प्रतिवादी अपने हिस्से में मिल लेना चाहते थे, इसलिए मिल के शेयरों को रंगासामी शाखा को समझौते के आदेश में आवंटित किया गया था। मिल में रंगासामी शाखा की 95 प्रतिशत हिस्सेदारी थी, यानी नियंत्रक हिस्सेदारी। मिल का मूल्य Rs.32 लाख की दर से था। समझौता आदेश में कोई धोखाधड़ी नहीं है। द.

दिनांकित समझौता डिक्री 06.08.1984 को प्रभावी बनाया गया था। वर्ष 1960 में विभाजन होने के कारण न तो कोई संयुक्त परिवार की संपत्ति थी और न ही कोई संयुक्त परिवार। वादी द्वारा यह निवेदन किया गया था कि उसकी माँ और बहन ने कोई हिस्सा नहीं लेने की इच्छा व्यक्त की थी। 1989 में वादी ने वासुदेव मिल्स को बेच दिया था।

31. श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि वादी की कोई भी दलील धोखाधड़ी की परिभाषा में नहीं आती है। वादी के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं की गई थी।

आदेश XXIII नियम 3A सी. पी. सी. के तहत, समझौता डिक्री पर सवाल उठाने के लिए कोई अलग मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता था।

32. श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि वादी के लिए खुला उपाय था

या तो 1984 के वाद No.37 में आवेदन दायर करना या समझौता डिक्री के खिलाफ अपील दायर करना। 1987 का मुकदमा No.1101 दायर करना और कुछ नहीं बल्कि वादी द्वारा मुकदमेबाजी का जुआ है। श्री सिब्बल प्रस्तुत करते हैं कि द्वारा दायर किया गया मुकदमा

वादी खर्च के साथ बर्खास्त होने का हकदार है।

33. प्रतिवादी No.11 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नागमुथु ने नीचे दिए गए न्यायालयों के फैसले का समर्थन किया है। वह.

प्रस्तुत करता है कि 1989 से, मिल के शेयरों की बिक्री शुरू हुई। प्रतिवादी नंबर 1 ने मिल के शेयर खरीदे। 06.08.1984 दिनांकित समझौता डिक्री पर कार्रवाई की गई। 1994 में, मिल के पूरे शेयरों का हस्तांतरण किया गया था। श्री नागमुथु प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी No.11 और अन्य प्रतिवादी शेयरों के हस्तांतरणकर्ता थे। 34. श्री गिरि ने प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए कहा कि जानकीम्मल का मामला यह था कि उन्होंने कभी किसी वकील को नियुक्त नहीं किया। हालाँकि, उन्होंने कहा कि उन्होंने समझौता आवेदन पर तमिल में हस्ताक्षर किए थे। उसका मामला यह था कि वह अंग्रेजी नहीं जानती थी और समझौता अंग्रेजी में लिखा गया था। जानकीम्मल के हस्ताक्षर समझौते पर लिए गए थे

डी-1 की पत्नी डी-2 द्वारा आवेदन, जो सामान्य रूप से, व्यापार और कर के उद्देश्यों के लिए समय-समय पर जानकीम्मल के हस्ताक्षर प्राप्त करती है।

परिवार विभिन्न व्यवसाय चला रहा था। श्री गिरि प्रस्तुत करते हैं कि 1984 के ओएस No.37 में निचली अदालत के दिनांक 06.08.1984 के फैसले में कहा गया है कि प्रतिवादी Nos.8 से 13 का वकालतनामा दायर नहीं किया गया था। वह प्रस्तुत करता है कि प्रतिवादी Nos.8 की ओर से अधिवक्ता तिरुमालनेसन द्वारा दायर वकालतनामा की प्रमाणित प्रति को भी रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है और डी-1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार, वकालतनामा और

दस्तावेज़ नष्ट कर दिए गए हैं। डी-1 कैसे कह सकता है कि वकालतनामा नष्ट हो गया है।

35. श्री गिरि ने प्रस्तुत किया कि टाटाबाद में वह घर जिसे 1987 के सूट No.1101 में अनुसूची सी में आइटम No.10 के रूप में शामिल किया गया था, खरीदा गया था

संयुक्त परिवार निधि से। हालाँकि घर को डी 1 द्वारा नीलामी में लिया गया था, लेकिन घर के लिए विचार डी-1 द्वारा व्यक्तिगत रूप से नहीं किया गया था, बल्कि

यह राशि स्वामी और स्वामी प्लांटेशन कंपनी से प्राप्त की गई थी, जो एक निजी लिमिटेड कंपनी है जिसमें डी-1, डी-4 और डी-10 के शेयर थे। स्वामी और स्वामी बागानों में रंगासामी की शाखा का लगभग एक तिहाई से अधिक हिस्सा था। टाटाबाद हाउस एक निजी कंपनी से प्राप्त किया गया था जो एक पारिवारिक व्यवसाय था, सभी आर. जनकियामल बनाम।

शाखाओं के घर में शेयर होंगे। 1984 के मुकदमे में टाटाबाद हाउस को शामिल नहीं किया गया था, घर के विभाजन के लिए 1987 का मुकदमा पूरी तरह से विचारणीय था और दोनों न्यायालयों ने उक्त सदन में वादी को हिस्सा नहीं देने में गलती की। 36. निचली अदालत द्वारा बनाए गए अतिरिक्त मुद्दों में से एक यह था कि "क्या आदेश 23 के मद्देनजर मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं है।

सिविल प्रक्रिया संहिता का नियम 3 (ए)?

37. निचली अदालत ने वादी के खिलाफ उपरोक्त मुद्दे का फैसला यह मानते हुए किया है कि समझौते के आदेश को चुनौती देने वाला अलग मुकदमा वर्जित है

सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXIII नियम 3A के अनुसार।

38. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय में कहा है कि अपीलों का निर्णय केवल एक बिंदु पर किया जा सकता हैः

इस बात पर विचार करना कि क्या वादी सोमसुंदरम द्वारा दिनांकित समझौता डिक्री को चुनौती देते हुए दायर 1997 का मुकदमा संख्या 1101 आदेश XXIII नियम 3ए के तहत वर्जित था। उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए विवादित निर्णय में कहा कि समझौता डिक्री पर सवाल उठाने वाला कोई अलग मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं है, इसलिए 1987 के मुकदमे को प्रतिबंधित कर दिया गया था। दोनों न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि वादी द्वारा दायर 1987 का मुकदमा आदेश XXIII नियम 3A के तहत वर्जित है, हम पहले उपरोक्त मुद्दे पर विचार करना उचित समझते हैं।

39. आदेश XXIII नियम 3 मुकदमे के समझौते का प्रावधान करता है। नियम में

3 1976 के अधिनियम संख्या 104 द्वारा संशोधन किए गए थे जिसके द्वारा एक परंतुक और एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया था। संशोधित आदेश XXIII नियम 3 निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" 3. सूट का समझौता। - जहां यह न्यायालय की संतुष्टि के लिए साबित हो जाता है कि किसी वाद को किसी वैध समझौते या समझौते द्वारा पूरी तरह से या आंशिक रूप से समायोजित किया गया है और पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है, या जहां प्रतिवादी वादी को संतुष्ट करता है।

पूरे या विषय के किसी भी हिस्से का सम्मान-वाद की बात,

न्यायालय ऐसे समझौते, समझौते या संतुष्टि को अभिलिखित करने का आदेश देगा, और एक डिक्री पारित करेगा जो उसके अनुसार है जहां तक यह मुकदमे के पक्षों से संबंधित है, चाहे समझौते, समझौते या संतुष्टि की विषय वस्तु समान हो या नहीं।

मुक़दमे के विषय के रूप में:

बशर्ते कि जहां एक पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया हो और इनकार किया गया हो

दूसरे द्वारा कि कोई समायोजन या संतुष्टि हो गई है, न्यायालय प्रश्न का निर्णय करेगा; लेकिन कोई स्थगन [2021] 6 एस. सी. आर.

प्रश्न का निर्णय करने के उद्देश्य से प्रदान किया जाए, जब तक कि

न्यायालय, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए, ऐसा अनुदान देना उचित समझता है। स्थगन।

स्पष्टीकरण-एक समझौता या समझौता जो भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (1872 का 9) के तहत अमान्य या अमान्य है, इस नियम के अर्थ के भीतर विधिसम्मत नहीं माना जाएगा।

40. 1976 के उसी संशोधन अधिनियम No.104 द्वारा, एक नया नियम, यानी नियम 3A जोड़ा गया था।

विधिसम्मत नहीं था। "

41. व्यक्तियों और निकायों के बीच विवादों का निर्धारण है

कानून द्वारा विनियमित। सभी विधानसभाओं की विधायी नीति विवाद के निर्धारण के लिए एक तंत्र प्रदान करना है ताकि विवाद किसी भी स्थिति में आ सके।

समाज में अंत और शांति बहाल की जाए। विधायी नीति का उद्देश्य मुकदमेबाजी को अंतिम रूप देना भी है, साथ ही पीड़ित पक्ष की शिकायतों को दूर करने के लिए अपील/संशोधन का उच्च मंच प्रदान करना भी है। नियम 3 ए, जिसे उपरोक्त संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, प्रदान करता है कि इस आधार पर डिक्री को दरकिनार करने के लिए कोई मुकदमा नहीं होगा कि जिस समझौते पर डिक्री आधारित है, वह वैध नहीं था। साथ ही, नियम 3 में परंतुक जोड़कर, यह प्रावधान किया गया है कि जब इस बारे में कोई विवाद होता है कि क्या कोई समायोजन या संतुष्टि हो गई है, तो इसका निर्णय उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसने समझौता दर्ज किया था। आदेश XXIII के नियम 3 में प्रावधान किया गया है कि जहां यह न्यायालय की संतुष्टि के लिए साबित होता है कि किसी मुकदमे को किसी वैध समझौते द्वारा पूरी तरह से या आंशिक रूप से समायोजित किया गया है या

समझौता, न्यायालय ऐसे समझौते या समझौते को दर्ज करने का आदेश देगा और उसके अनुसार एक डिक्री पारित करेगा। नियम 3 "वैध समझौता या समझौता" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। संशोधन द्वारा जोड़ा गया स्पष्टीकरण प्रदान करता है कि एक समझौता या समझौता जो भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत अमान्य या अमान्य है, उसे विधिसम्मत नहीं माना जाएगा। "

42. प्रावधान और स्पष्टीकरण के साथ नियम 3 को पढ़कर, यह स्पष्ट है कि एक समझौता या समझौता, जो अमान्य या अमान्य है, नहीं किया जा सकता है।

न्यायालयों द्वारा अभिलिखित और भले ही यह अभिलिखित किया गया हो, न्यायालय इस तरह की अभिलिखन की चुनौती पर प्रश्न का निर्णय कर सकता है। स्पष्टीकरण भारतीय अनुबंध अधिनियम को संदर्भित करता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम में प्रावधान है कि कौन से अनुबंध अमान्य या अमान्य हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 10 में प्रावधान किया गया है कि सभी समझौते अनुबंध हैं यदि वे मुक्त एन. ए. के. आई. ए. एम. एम. ए. एल. बनाम द्वारा किए गए हैं।

एस. के. कुमारस्वामी (निर्णयित) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से [अशोक भूषण, जे.]

कानूनी रूप से विचार करने के लिए अनुबंध करने के लिए सक्षम पक्षों का अधिकार और

एक वैध उद्देश्य, और इसके द्वारा स्पष्ट रूप से शून्य घोषित नहीं किया जाता है। 14 पर निम्नलिखित शब्दों में स्वतंत्र सहमति को परिभाषित किया गया हैः

" 14. " मुक्त सहमति "परिभाषित की गई है। सहमति को मुक्त कहा जाता है।

जब यह नहीं होता है (1) धारा 15 में परिभाषित जबरदस्ती, या

(2)

धारा 16 में परिभाषित अनुचित प्रभाव, या

(3)

धारा 17 में परिभाषित धोखाधड़ी, या धारा 18 में परिभाषित गलत निरूपण, या

(4) (5)

गलती, धारा 20,21 और 22 के प्रावधानों के अधीन।

सहमति को ऐसा कहा जाता है जब यह नहीं दी गई होती, लेकिन इस तरह के जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव के अस्तित्व के लिए,

धोखाधड़ी, गलत निरूपण या गलती। ”

43. एक सहमति जब यह जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव के कारण होती है,

, गलत निरूपण या गलती स्वतंत्र सहमति नहीं है और इस तरह

यदि स्वतंत्र सहमति की आवश्यकता है तो यह अनुबंध नहीं होगा। धारा 15,17 और 18 जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी और धोखाधड़ी को परिभाषित करती है।प्रस्तुति। धारा 19 सहमति के बिना समझौतों की अमान्यता से संबंधित है। धारा 19 निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" 19. स्वतंत्र सहमति के बिना समझौतों को रद्द करना।

जब किसी समझौते के लिए सहमति जबरदस्ती, धोखाधड़ी या धोखाधड़ी के कारण होती है

उस पक्ष का विकल्प जिसकी सहमति इस कारण हुई थी। एक अनुबंध का एक पक्ष जिसकी सहमति धोखाधड़ी या गलत निरूपण के कारण हुई थी, यदि वह उचित समझता है, तो इस बात पर जोर दे सकता है कि अनुबंध का पालन किया जाएगा, और उसे उस स्थिति में रखा जाएगा जिसमें वह होता यदि किए गए अभ्यावेदन सही होते।

अपवाद। यदि ऐसी सहमति के कारण हुआ था

जिसकी सहमति इस तरह से हुई थी, उसके पास खोज करने के साधन थे सामान्य परिश्रम के साथ सत्य।

स्पष्टीकरण। एक धोखाधड़ी या गलत निरूपण जो उस पक्ष के अनुबंध के लिए सहमति का कारण नहीं था जिस पर इस तरह की धोखाधड़ी की गई थी, या जिसके लिए ऐसी गलत प्रस्तुति की गई थी, किसी अनुबंध को अमान्य नहीं करता है। "[2021] 6 एस. सी. आर.

44. धारा 10,13 और 14 का एक संयुक्त पठन इंगित करता है कि जब सहमति जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त की जाती है, गलत प्रस्तुति या गलती, ऐसी सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं है और अनुबंध उस पक्ष के विकल्प पर अमान्य हो जाता है जिसकी सहमति जबरदस्ती, धोखाधड़ी या गलत प्रस्तुति के कारण हुई थी। एक समझौता, जो

भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत शून्य या अमान्य है, जिसे विधिसम्मत नहीं माना जाएगा जैसा कि आदेश XXIII के नियम 3 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदान किया गया है।

45. हमें उन आधारों की जांच करने की आवश्यकता है जिनके आधार पर 06.08.1984 दिनांकित समझौता डिक्री में अभिवचनों द्वारा महाभियोग की मांग की गई थी। 1987 का वाद सं. 1101। क्या समझौता विलेख पर महाभियोग चलाने का आधार वह है जिसे न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है

आदेश XXIII के नियम 3 के अनुसार समझौता डिक्री? हमें उन आधारों पर गौर करने की आवश्यकता है जिनके आधार पर समझौता आदेश पर सवाल उठाते हुए 1987 का मुकदमा दायर किया गया था। अभियोग के पैराग्राफ 12 और 13 में आरोप हैं, जो निम्नलिखित प्रभाव के हैं:

" 12. 1984 की शुरुआत में, प्रथम प्रतिवादी ने प्रतिनिधित्व किया कि चूंकि वादी ने बैंक को व्यक्तिगत गारंटी दी है

कई लाख के ऋणों के लिए, वादी के नाम पर पारिवारिक संपत्तियों का होना जोखिम भरा और समीचीन नहीं होगा और मालिकों के रूप में अभिलेखों पर वादी के नाम को दूर रखना फायदेमंद और सुरक्षित होगा। वहाँ भी वादी ने पहले प्रतिवादी को निर्देश और विवेक नहीं दिया। प्रथम प्रतिवादी ने आगे प्रतिनिधित्व किया कि रिकॉर्ड के उद्देश्य से और किसी भी बैंक दावे के जोखिम से बचने के लिए पूरे परिवार की संपत्तियों को प्रतिवादी-1 और 4 के नाम पर रखा जाएगा। प्रथम प्रतिवादी ने आश्वासन दिया कि यह व्यवस्था वादी को प्रभावित या समाप्त नहीं करेगी।

संपत्तियों में वैध हिस्सेदारी। यहाँ फिर से वादी ने पहले के निर्णय और निर्देशों के अनुसार पालन किया और कार्य किया। प्रतिवादी।

13. प्रथम प्रतिवादी ने पारिवारिक वकील के माध्यम से उप न्यायालय, कोयम्बटूर में मुकदमा दायर करने की व्यवस्था की। यह एक सांठगांठ वाला मुकदमा था और केवल विश्वास का मामला था। परिवार के किसी भी सदस्य के पास जाने के लिए कोई गलतफहमी या उकसावा नहीं था

विभाजन के लिए न्यायालय "।

46. अभियोग के पैराग्राफ 15 में, वादी ने आगे दलील दी थी कि अदालत से प्राप्त कार्यवाही और डिक्री एक धोखाधड़ी है। न केवल वादी पर बल्कि न्यायालय के खिलाफ भी खेला। वादी का कहना है कि समझौता डिक्री, जिसका उद्देश्य केवल संपत्तियों को सुरक्षित और सुरक्षित करना था, धोखाधड़ी के अलावा नकली और नाममात्र है।

आर. जनकियामल बनाम। एस. के. कुमारस्वामी (निर्णयित) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से [अशोक भूषण, जे.]

47. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि वादी ने उस समझौते का अनुरोध किया

06.08.1984 पर दर्ज किया गया कानूनी समझौता धोखाधड़ी और गलत निरूपण द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था। वादी का मामला यह था कि उनका प्रतिनिधित्व डी1 द्वारा किया गया था कि समझौता केवल पारिवारिक संपत्ति को बचाने के लिए किया जा रहा है क्योंकि वादी ने वासुदेव मिल्स के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक को व्यक्तिगत गारंटी दी है। दलीलें स्पष्ट रूप से वादी के मामले को स्पष्ट करती हैं कि समझौते पर हस्ताक्षर करके समझौते के लिए दी गई सहमति स्वतंत्र सहमति नहीं थी। इस प्रकार, वादी के कहने पर समझौता अमान्य हो जाता है।

48. आदेश XXIII के नियम 3 ए के तहत बाधा वर्तमान मामले के तथ्यों में आकर्षित होगी या नहीं, जैसा कि नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है। नियम 3 ए मुकदमे को इस आधार पर डिक्री को दरकिनार करने से रोकता है कि समझौता जिस पर डिक्री पारित की गई थी

विधिसम्मत नहीं था। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, "वैध" शब्द का उपयोग नियम 3 में किया गया है और नियम 3 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि "एक समझौता या

समझौता जो भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (1872 का 9) के तहत अमान्य या अमान्य है, उसे विधिसम्मत नहीं माना जाएगा।

49. इस प्रकार, एक समझौता या समझौता जो स्पष्ट रूप से अमान्य या अमान्य है, उसे विधिसम्मत नहीं माना जाएगा और इसके तहत प्रतिबंध लगाया जाएगा।

नियम 3 ए को आकर्षित किया जाएगा यदि समझौता, जिसके आधार पर डिक्री पारित की गई थी, अमान्य या अमान्य था।

50. आदेश XXIII नियम 3 के साथ-साथ नियम 3A इस न्यायालय के समक्ष बड़ी संख्या में मामलों में विचार के लिए आया और हमें कुछ का उल्लेख करने की आवश्यकता है

नियम 3 और नियम 3 ए के संदर्भ में इस न्यायालय के निर्णयों के अनुपात का पता लगाने के लिए। बनवारी लाल बनाम चंदो देवी (श्रीमती) हालांकि

एल. आर. और एनर. , (1993) 1 एस. सी. सी. 581, इस न्यायालय ने आदेश XXIII के नियम 3 के साथ-साथ नियम 3 ए पर भी विचार किया। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि संशोधन अधिनियम, 1976 का उद्देश्य समझौते को चुनौती देने वाले पक्ष को उस न्यायालय से सवाल करने के लिए मजबूर करना है जिसने समझौता दर्ज किया है। पैराग्राफ 6 और 7 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

" 6. अदालतों का अनुभव रहा है कि कई मौकों पर पक्षों ने समझौते की याचिकाएं दायर की हैं

जो फरमान बाद में किसी न किसी कारण से तैयार किए जाते हैं, वे इस तरह के समझौते की वैधता को चुनौती देते हैं। इस तरह के फरमानों को दरकिनार करने के लिए ऐसे मुकदमे दायर किए जाते थे जो अपीलों सहित वर्षों तक चले

अलग-अलग अदालतों में। अदालतों और जनता की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए, संहिता के आदेश 23 में कई संशोधन किए गए हैं जिनमें वापस लेने [2021] 6 एस. सी. आर. से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

और सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा वाद का समायोजन। संहिता के आदेश 23 के नियम 1 में निर्धारित किया गया है कि वाद की स्थापना के बाद किसी भी समय, वादी अपना वाद छोड़ सकता है या अपने दावे के एक हिस्से को छोड़ सकता है। नियम 1 (3) में यह प्रावधान है कि जहां न्यायालय का समाधान हो कि (क) कोई वाद किसी औपचारिक दोष के कारण विफल होना चाहिए, या (ख) वादी को किसी वाद या दावे के किसी भाग के विषय के लिए एक नया वाद स्थापित करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त आधार हैं, तो वह ऐसी शर्तों पर, जो वह उचित समझे, वादी को एक नया वाद स्थापित करने की स्वतंत्रता के साथ ऐसे वाद को वापस लेने की अनुमति दे सकता है। नियम 1 (4) को ध्यान में रखते हुए यदि वादी ऊपर निर्दिष्ट अनुमति के बिना अपना मुकदमा छोड़ देता है या ऐसा मुकदमा वापस ले लेता है, तो उसे ऐसे विषय-वस्तु के संबंध में ऐसा कोई मुकदमा शुरू करने से रोक दिया जाएगा। आदेश 23 के नियम 3, जिसमें वाद के समझौते से संबंधित प्रक्रिया शामिल थी, को भी कम करने के लिए संशोधित किया गया था।

एक समझौता डिक्री को चुनौती देते हुए परेशान करने वाला और थका देने वाला मुकदमा। न केवल नियम 3 में कुछ विशेष आवश्यकताएँ थीं

अदालत द्वारा एक समझौते को दर्ज करने से पहले पेश किया गया जिसमें यह भी शामिल है कि वैध समझौता या समझौता लिखित रूप में होना चाहिए और पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए, एक स्पष्टीकरण के साथ एक परंतुक भी जोड़ा गया था जो निम्नानुसार हैः

" बशर्ते कि जहां एक पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया हो और इनकार किया गया हो

दूसरे द्वारा कि कोई समायोजन या संतुष्टि हो गई है, न्यायालय प्रश्न का निर्णय करेगा; लेकिन प्रश्न का निर्णय लेने के उद्देश्य से कोई स्थगन नहीं दिया जाएगा, जब तक कि न्यायालय, दर्ज किए जाने वाले कारणों से, ऐसा स्थगन देने के लिए उचित नहीं समझता है।

स्पष्टीकरण। एक समझौता या समझौता जो

भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (के 9) के तहत शून्य या अमान्य

1872) , के अर्थ के भीतर विधिसम्मत नहीं माना जाएगा

यह नियम "।

7. स्पष्टीकरण के साथ परंतुक को जोड़ने से संशोधन अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य प्रतीत होता है -

समझौते को चुनौती देने वाले पक्ष को अदालत के समक्ष उसी पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करें जिसने विचाराधीन समझौते को दर्ज किया था।

उस अदालत को इस विवाद का फैसला करने का आदेश दिया गया था कि क्या पक्ष कानूनी तरीके से समायोजन पर पहुंचे हैं। स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि एक समझौता या समझौता जो भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत अमान्य या अमान्य है, वह नकीमल v नहीं होगा।

एस. के. कुमारस्वामी (निर्णयित) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से [अशोक भूषण, जे.]

उक्त नियम के अर्थ के भीतर विधिसम्मत समझा जाएगा। होने के नाते

नियम 3 में स्पष्टीकरण के साथ परंतुक पेश किया गया मुकदमे की बहुलता और लंबे समय तक मुकदमेबाजी से बचने के लिए, एक विशिष्ट

एक संस्था के संबंध में नियम 3-ए द्वारा बार निर्धारित किया गया था

समझौते के आधार पर एक डिक्री को अलग करने के लिए अलग मुकदमा कहते हैं:

" 3 - ए. सूट करने के लिए बार। - फरमान को दरकिनार करने के लिए कोई मुकदमा नहीं होगा।

इस आधार पर कि समझौता जिस पर डिक्री है

इसका आधार वैध नहीं था। "

51. अगला फैसला पुष्प देवी भगत (मृत) को दिया जाना है।

उह एल. आर. साधना राय (श्रीमती) बनाम राजिंदर सिंह और अन्य। ,

5) 5 एस. सी. सी. 566, न्यायमूर्ति आर. वी. रवींद्रन अदालत की ओर से बोल रहे हैं।

आदेश XXIII नियम 3 और नियम 3A के प्रावधान और अभिलिखित

पैराग्राफ 17 में निम्नलिखित शब्दों में समावेशन:

" 17. संशोधित प्रावधानों से उत्पन्न होने वाली स्थिति

आदेश 23 का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:

(i) सहमति आदेश के खिलाफ कोई अपील विचारणीय नहीं है।

सी. पी. सी. की धारा 96 (3) में निहित विशिष्ट प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए।

((ii) न्यायालय के आदेश के विरुद्ध कोई अपील विचारणीय नहीं है।

समझौता दर्ज करना (या समझौता दर्ज करने से इनकार करना)

नियम 1 आदेश 43 के खंड (एम) को हटाने की दृष्टि से।

((iii) एक पक्ष को अलग करने के लिए कोई स्वतंत्र मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है।

इस आधार पर समझौता डिक्री कि समझौता नहीं था

नियम 3-ए में निहित बाधा को देखते हुए विधिसम्मत।

(iv) एक सहमति डिक्री एक अवरोध के रूप में काम करती है और वैध होती है।

और बाध्यकारी जब तक कि यह उस न्यायालय द्वारा अलग नहीं किया जाता है जिसने पारित किया था

परंतुक के तहत एक आवेदन पर एक आदेश द्वारा सहमति डिक्री नियम 3 आदेश 23.

इसलिए, सहमति के लिए एक पक्ष के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय

इस तरह की सहमति डिक्री से बचने के लिए डिक्री, अदालत का रुख करना है जिसने समझौते को दर्ज किया और इसके संदर्भ में एक फरमान जारी किया,

इस सवाल का फैसला करें कि क्या कोई वैध समझौता हुआ था या नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक सहमति डिक्री अनुबंध के अलावा और कुछ नहीं है

[2021] 6 एस. सी. आर. के अनुमोदन की मुहर के साथ अधिरोपित पक्षों के बीच।

अदालत। सहमति आदेश की वैधता पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि

उस समझौते या समझौते की वैधता जिस पर यह किया गया है। द.

दूसरा प्रतिवादी, जिसने सहमति समझौता डिक्री को चुनौती दी थी, इस स्थिति से पूरी तरह से अवगत था क्योंकि उसने एक आवेदन दायर किया था

21-8-2001 पर सहमति आदेश को यह आरोप लगाते हुए अलग करना कि

कानून के अनुसार कोई वैध समझौता नहीं था।

महत्वपूर्ण रूप से, अन्य प्रतिवादियों में से किसी ने भी सहमति आदेश को चुनौती नहीं दी। स्वयं को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए, दूसरे प्रतिवादी ने कुछ दिनों के भीतर (जो कि 27-8-2001 पर है) एक अपील दायर की और अदालत के समक्ष दायर आवेदन को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया जिसने सहमति डिक्री पारित की। दूसरे प्रतिवादी द्वारा ऐसी अपील विचारणीय नहीं थी, जिसमें एक्सप्रेस बार को ध्यान में रखा गया था। संहिता की धारा 96 (3) में "।

52. अगला फैसला आर. राजन्ना बनाम है। एस. आर. वेंकटस्वामी

ओआरएस। , (2014) 15 एस. सी. सी. 471 जिसमें आदेश XXIII के प्रावधान 3 और नियम 3 ए पर फिर से विचार किया गया। उपरोक्त राय निकालने के बाद, इस न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 11 में निम्नलिखित निर्णय दिया गया थाः

" 11. उपरोक्त के एक स्पष्ट पठन से यह स्पष्ट होता है कि आदेश 23 नियम 3 के परंतुक के संदर्भ में जहां एक पक्ष आरोप लगाता है

और दूसरा किसी मुकदमे के समायोजन या संतुष्टि से इनकार करता है

कानूनी समझौता या समझौता लिखित रूप में और द्वारा हस्ताक्षरित

पक्षकार, वह न्यायालय जिसके समक्ष ऐसा प्रश्न उठाया जाता है, उसी पर निर्णय करेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आदेश 23 नियम 3 के स्पष्टीकरण के संदर्भ में, समझौते या समझौते को उक्त नियम के अर्थ के भीतर विधिसम्मत नहीं माना जाएगा यदि वह अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत अमान्य या अमान्य है। यह इस प्रकार है

प्रत्येक मामला जहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि वहाँ है या नहीं

पक्षकारों द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित एक वैध समझौता या समझौता होने पर, यह प्रश्न कि क्या समझौता या समझौता वैध है, संबंधित न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। वैध क्या है?

बदले में यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या आरोप कोई सुझाव देते हैं

समझौते में दुर्बलता और डिक्री जो बनाएगी

इस आधार पर कि वह समझौता जिस पर डिक्री आधारित है वैध नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि इससे संबंधित कोई प्रश्न जल्द ही नहीं

समझौते या समझौते की वैधता से पहले उठाया जाता है

न्यायालय जिसने ऐसे किसी समझौते या समझौते के आधार पर डिक्री पारित की, वह न्यायालय और केवल वही न्यायालय है जो आर. जनकियामल बनाम।

एस. के. कुमारस्वामी (निर्णय)

थ्रू

कानूनी प्रतिनिधि [अशोक भूषण, जे.]

आदेश 23 नियम 3-ए सी. पी. सी. के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए। इस मामले में ठीक यही हुआ है। जब अपीलार्थी ने समझौता डिक्री की वैधता को चुनौती देने के लिए 2005 का ओएस नंबर 5326 दायर किया, तो जिस अदालत के समक्ष मुकदमा आया, उसने उत्तरदाताओं द्वारा किए गए आवेदन पर आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत वाद को यह मानते हुए खारिज कर दिया कि इस तरह का मुकदमा आदेश 23 नियम 3-ए सी. पी. सी. के प्रावधानों द्वारा वर्जित था। इस प्रकार वाद खारिज हो जाने के बाद, प्रतिवादियों (यहाँ उत्तरदाताओं) को यह तर्क देते हुए शायद ही सुना जा सकता था कि वादी (यहाँ अपीलकर्ता) को 2005 के ओएस संख्या 5326 के अनुसरण में समझौता डिक्री के खिलाफ अपना उपचार करना चाहिए और यदि वाद में वाद को खारिज कर दिया गया है तो उच्च न्यायालय के समक्ष इस तरह की अस्वीकृति के खिलाफ अपना उपचार आगे बढ़ाने के लिए। अदालत "।

53. पुष्पादेवी (ऊपर) के साथ-साथ बनवारी लाल (ऊपर) के फैसलों को इस न्यायालय द्वारा संदर्भित किया गया था और उन पर भरोसा किया गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जिस न्यायालय ने ऐसे किसी समझौते या समझौते के आधार पर डिक्री पारित की है, उसके समक्ष समझौते या समझौते की वैधता से संबंधित कोई प्रश्न जल्द ही नहीं उठाया जाता है, यह वह न्यायालय है और

केवल न्यायालय ही उस प्रश्न की जांच और निर्धारण कर सकता है। 54. बाद के फैसले में, त्रिलोकी नाथ सिंह बनाम अनिरुद्ध सिंह (मृत) कानूनी प्रतिनिधियों और अन्य के माध्यम से। , (2020) 6 एस. सी. सी. 629, इस न्यायालय ने पहले के निर्णयों का फिर से उल्लेख करते हुए उसी पूर्वधारणा को दोहराया, अर्थात, इस तरह की सहमति डिक्री से बचने के लिए सहमति डिक्री के लिए एक पक्ष के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय अदालत से संपर्क करना है जो

समझौता दर्ज किया गया है और अलग मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं है। पैराग्राफ 17 और 18 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया हैः

" 17. सिविल प्रक्रिया में संशोधन पेश करके

संहिता (संशोधन) 1976 ई. एफ. 1-2-1977, विधायिका ने आदेश 23 नियम 3-ए को लागू किया है, जो इस आधार पर एक डिक्री को दरकिनार करने के लिए मुकदमे को स्थापित करने के लिए बार बनाता है कि समझौता जिस पर डिक्री आधारित है वह विधिसम्मत नहीं था। प्रभाव का उद्देश्य

पक्षों के बीच समझौता सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय के समक्ष लंबित विभिन्न विवादों को हमेशा के लिए समाप्त करना है।

18. निर्णयों की अंतिमता सभी निर्णय मंचों का एक अंतर्निहित सिद्धांत है। इस प्रकार, आगे मुकदमेबाजी का निर्माण कभी भी [2021] 6 एस. सी. आर. नहीं होना चाहिए।

पक्षों के बीच समझौते का आधार बनें। आदेश 23 सी. पी. सी. के नियम 3-ए में एक विशिष्ट प्रतिबंध लगाया गया है कि इस आधार पर एक डिक्री को दरकिनार करने के लिए कोई मुकदमा नहीं होगा कि जिस समझौते पर डिक्री आधारित है वह वैध नहीं था। आदेश 23 नियम 3 सी. पी. सी. की योजना मुकदमेबाजी की बहुलता से बचने और पक्षों को सौहार्दपूर्ण तरीके से एक समझौते पर आने की अनुमति देने के लिए है जो वैध है, लिखित रूप में है और पक्षों की ओर से एक स्वैच्छिक कार्य है। न्यायालय एक सहमत समझौते को प्रभावी बनाने और उसे अंतिम रूप देने में सहायक हो सकता है। न्यायालय को कभी भी एक अनिच्छुक पक्ष पर समझौता लागू करने के लिए पक्षकार नहीं होना चाहिए, जो अभी भी आदेश 23 नियम 3 सी. पी. सी. के प्रावधान के तहत एक आवेदन पर पूछताछ के लिए खुला है।

अदालत "।

55. उपरोक्त निर्णयों में एक स्पष्ट अनुपात होता है कि समझौते को चुनौती देने के लिए समझौते के आधार पर एक सहमति डिक्री का एक पक्ष इस आधार पर डिक्री कि डिक्री वैध नहीं थी, यानी, यह अमान्य या अमान्य थी, उसी अदालत से संपर्क करना होगा, जिसने समझौता दर्ज किया और सहमति डिक्री को चुनौती देने वाले एक अलग मुकदमे को बनाए रखने योग्य नहीं माना गया है। 1987 के सूट No.1101 में, वादी ने एक के लिए प्रार्थना की

यह घोषणा करते हुए कि 1984 के ओ. एस. सं. 37 में पारित डिक्री नकली और नाममात्र, अतिवादी, सांठगांठ, अस्थिर अमान्य, अप्रवर्तनीय है और वादी पर बाध्यकारी नहीं है। हमने पूर्वगामी पैराग्राफ में सहमति डिक्री को चुनौती देने के लिए वाद में निहित आधारों को नोट किया है, जिससे यह स्पष्ट है कि समझौता, जो था 06.08.1984 पर अभिलिखित को विधिसम्मत नहीं, अर्थात अमान्य या अमान्य करार देने की मांग की गई थी। 1987 के मुकदमे में वादी द्वारा लिए गए आधारों के आधार पर, वादी के लिए उपलब्ध एकमात्र उपाय उसी मामले में अदालत से संपर्क करना और अदालत को संतुष्ट करना था कि समझौता वैध नहीं था। नियम 3 ए को विशेष रूप से समझौता डिक्री को चुनौती देने के लिए अलग मुकदमे को रोकने के लिए संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जो कार्यवाही की बहुलता को रोकने के विधायी इरादे के अनुसार है। इस प्रकार, हम निचली अदालत और उच्च न्यायालय के फैसले में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं जिसमें कहा गया है कि 1987 का मुकदमा No.1101 इसके तहत वर्जित था।

आदेश XXIII नियम 3A।

56. हमने पाया कि 1987 का मुकदमा No.1101 आदेश XXIII नियम 3A के तहत वर्जित है, इसलिए हमारे लिए शुद्धता में प्रवेश करना आवश्यक नहीं है।

या अन्यथा दिनांकित समझौता डिक्री पर सवाल उठाने के लिए शिकायत में लिए गए आधार। इस प्रकार, 1987 के वाद सं. 1101 में दिनांकित समझौता डिक्री पर सवाल नहीं उठाया जा सकता था।

आर. जनकियामल बनाम। एस. के. कुमारस्वामी (निर्णयित) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से [अशोक भूषण, जे.]

57. एक और प्रस्तुति बाकी है जो होनी चाहिए

1984 का ओ. एस. No.37 और दिनांक 06.08.1984 के समझौते के आदेश में नहीं था। अपीलार्थी का कथन है कि उक्त आवासीय संपत्ति हालांकि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर थी, लेकिन इसे संयुक्त परिवार निधि से अधिग्रहित किया गया था, इसलिए अपीलार्थी ने भी संपत्ति में हिस्सा लिया था। 59. टाटाबाद, डॉ. अलगप्पा चेट्टियार रोड, कोयंबटूर में आवासीय भवन को संपत्तियों की अनुसूची 'बी' की वस्तु संख्या 10 में शामिल किया गया था।

निम्नलिखित प्रभावः

" वस्तु संख्या एक्स

कोयंबटूर में जिले में पंजीकरण, कोयंबटूर निगम सीमा, टाटाबाद, डॉ. अलगप्पा चेट्टियार रोड, D.No.101,4500 वर्ग किलोमीटर के साथ 0.3 एकड़ का विस्तार। फीट। आवासीय निर्माण

इमारत "।

60. उपरोक्त आवासीय संपत्ति को इसमें शामिल नहीं किया गया था।

1984 का O.S.No.37 और न ही दिनांकित 06.08.1984 समझौता डिक्री का हिस्सा। 1984 के O.S.37 में पारित डिक्री को अप्रवर्तनीय घोषित करने के लिए वादी की प्रार्थना एक ऐसी संपत्ति के विचार को बाधित नहीं करेगी जो

आदेश का हिस्सा नहीं था। अतः इन अपीलों में टाटाबाद, अलगप्पा चेट्टियार रोड, कोयम्बटूर में आवासीय संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा करने के लिए अपीलकर्ताओं के मामले पर विचार करने की आवश्यकता है।

61. हम सबसे पहले उपरोक्त गृह संपत्ति के संबंध में वादी और प्रतिवादी संख्या 1 के मामले के संबंध में अभिवचनों को नोटिस कर सकते हैं

1987 के ओ. एस. No.1101 में परिलक्षित।

62. वादपत्रक परिच्छेद 6 (ङ) मे निम्नलिखित द्वारा निवेदन कयल गेल अछि -

वादीः

" 6 (ई) 1978 में कोयंबटूर के टाटाबाद में एक भव्य बंगला खरीदा गया था। इसे आइटम No.10 के रूप में निर्धारित और वर्णित किया गया है अनुसूची 'बी'। इस संपत्ति का अधिग्रहण केवल बाहर था

संयुक्त आय और परिवार के लाभ के लिए। "[2021] 6 एस. सी. आर.

63. प्रतिवादी सं। 1 1987 के ओ. एस. सं. 1101 में दाखिल किए गए 3 लिखित बयानों और पैराग्राफ 6 (ई) में किए गए उपरोक्त अभिकथन के संबंध में,

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा निम्नलिखित निवेदन किया गया हैः

" 6. अभियोग के पैराग्राफ 6 में लगाए गए आरोप पूरी तरह से सच नहीं हैं। यह आरोप कि अनुसूची 'बी' की वस्तु संख्या 10 के रूप में वर्णित संपत्ति परिवार के लाभ के लिए संयुक्त आय से अर्जित की गई थी, बिल्कुल गलत है। सबसे पहले, कोई संयुक्त आय नहीं थी। दूसरा कोई परिवार नहीं है, तीसरा यह कि इसे संयुक्त आय से नहीं खरीदा गया था। संपत्ति को नीलामी में पहले प्रतिवादी द्वारा लिया गया था। मूल्य के भुगतान के लिए आवश्यक राशि थी

स्वामी एंड स्वामी कंपनी के प्रथम प्रतिवादी द्वारा तैयार किया गया। स्वामी की राशि में उनके खिलाफ राशि का भुगतान किया गया था और

को "।

64. प्रतिवादी संख्या 1 का मामला यह था कि उपरोक्त संपत्ति प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा नीलामी में खरीदी गई थी। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने दावे के समर्थन में एक्स. बी.-27 दायर किया था कि घर की संपत्ति प्रतिवादी संख्या 1 की एक अलग संपत्ति है। Ex. B-27 इंगित करता है कि प्रतिवादी संख्या 1 को संपत्ति का खरीदार घोषित किया गया था जैसा कि 28.11.1979 पर आयोजित सार्वजनिक नीलामी द्वारा रु. 1,51,000/- में बेचा गया था। Ex. B-27 उपरोक्त प्रभाव के लिए कोर्ट ऑफ सबऑर्डिनेट जज, कोयंबटूर द्वारा जारी किया गया एक बिक्री प्रमाण पत्र था। हालांकि लिखित बयान के पैराग्राफ 6 में प्रतिवादी नंबर 1 ने दलील दी थी कि कीमत के भुगतान के लिए आवश्यक राशि प्रतिवादी द्वारा निकाली गई थी। स्वामी एंड स्वामी कंपनी से नंबर 1। प्रतिवादी नंबर 1 गवाह बॉक्स में डी. डब्ल्यू.-2 के रूप में उपस्थित हुआ और अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा कि उसने टाटाबाद में घर की संपत्ति के भुगतान के लिए स्वामी और स्वामी प्लांटेशन कंपनी के धन का उपयोग किया है। अपनी प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने रु. 1,50,000/- लिए थे। अपनी प्रतिपरीक्षा में, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निम्नलिखित कहा गया थाः

" यह कहना गलत है कि घर कंपनी खरीदने के लिए

धनराशि ले ली गई। मुझे याद नहीं है और यह दिखाने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है कि यह किस साझेदारी से और किस खाते से थी

खींचा। यह कहना सही नहीं है कि मैंने संयुक्त परिवार का धन लिया और खरीदा। मैंने लगभग रु। 1.5 लाख। ऐसा नहीं था।

लौट आए। अभिलेख अभी प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। "

65. बाद में प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि वह राशि जो घर की संपत्ति की खरीद के लिए ली गई थी

टाटाबाद स्वामी और स्वामी प्लांटेशन कंपनी को वापस नहीं किया गया था। 12.08.1997 पर अपनी प्रतिपरीक्षा में प्रतिवादी संख्या 2 कहता हैः

" 12.8.1997 पर गवाह को शपथ दिलाई गई और फिर से जाँच की गई।

स्वामी और सॉमी को राशि वापस नहीं करने का कारण

टाटाबाद में घर का, क्योंकि मेरे घर में क्रेडिट बैलेंस था उक्त कंपनी में नाम "।

66. रिकॉर्ड पर साक्ष्य, इस प्रकार, इंगित करता है कि टाटाबाद हाउस प्रॉपर्टी

प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर खरीदा गया और इसके लिए विचार

स्वामी और स्वामी प्लांटेशन कंपनी से भुगतान किया गया था।

सभी शाखाओं के केवल परिवार के सदस्य और शेयरधारक।

: प्रतिपरीक्षा प्रतिवादी संख्या 2 ने कहा हैः

" हमने स्वामी एंड स्वामी प्लांटेशन के नाम से कंपनी शुरू की।

1974 में जिसमें परिवार की तीनों शाखाओं के सदस्य शेयरधारक थे। "

67. स्वामी और स्वामी के शेयरधारकों का विवरण

एटियन्स (पी) लिमिटेड, कुन्नूर का उल्लेख 1984 के O.S.No.37 में इस प्रकार किया गया था

अनुसूची 'सी' का No.10 जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" वस्तु No.10

मेसर्स में शेयरों का विवरण। स्वामी और स्वामी बागान

(पी) लिमिटेड, कुन्नूर।

एस. नं. नाम

कुल मूल्य

शेयरों की संख्या

1. एस. के. कुमारस्वामी

रु. 92,

000.00

2. एस. के. चिन्नासामी

रु. 44,
000.00
440
रु. 41,
000.00
3. एस. R.Shanmugavelautham
410
रु. 23,
000.00
4. एस. आर. सोमसुंदरम
230
5. श्रीमती. आर. जनैयाम्मल
810
रु. 1,
000.00
6. श्रीमती. एस. सरस्वती
रु. 75,
000.00
750
रु. 61,
000.00
7. सी. कमलम
610
8. श्रीमती. सी. साथियावती
रु. 7,
500.00
75
कुल

रु. 4,24,

500.00 "

68. ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार 2190 में आयोजित रंगासामी शाखा

4245 शेयरों में से जो कंपनी के 50 प्रतिशत से अधिक शेयर हैं।

भूमि की छत से भू-संपत्ति को बचाने के लिए तीन भाइयों के बीच एक्ट करें। 07.11.1960 दिनांकित विभाजन विलेख 07.11.1960 पर पंजीकृत किया गया था, यह दावा करता है कि पक्षों ने 01.04.1960 पर अचल संपत्तियों को विभाजित किया है। निवेदन यह है कि भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम लागू किया जा रहा था

01.04.1960 के तुरंत बाद उक्त दावा विभाजन विलेख में स्थापित किया गया था। विभाजन विलेख को तीनों शाखाओं की भूमि संपत्ति को बचाने के लिए निष्पादित किया गया था और अलग करने का कोई इरादा नहीं था।

प्रत्येक शाखा और संयुक्त परिवार की स्थिति में परिवर्तन लाना। श्री गिरि के निवेदन को दोहराया गया है जिसे उच्च न्यायालय के समक्ष यह भी उठाया गया था कि विभाजन दिनांक 1 के बाद भी तीन भाइयों का संयुक्त और संयुक्त परिवार 1 के बाद भी जारी रहा, जो तीनों शाखाओं के नाम पर खरीदी गई विभिन्न संपत्तियों से स्पष्ट है, जो सदपालयम में पैतृक घर में एक साथ रह रहे थे और नवनिर्मित थे।

सोमनूर में घर। 1963 में भूमि की खरीद के बाद तीनों शाखाओं ने एक साथ पारिवारिक व्यवसाय चलाना जारी रखा।

71. अपीलार्थियों के लिए विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि यह प्रतिवादी संख्या 1 का अपना मामला है कि विभाजन समझौता दिनांक 08.03.1981 है।

पार्टियों के बीच लिया गया जिसके तहत रंगासामी शाखा ने सहमति व्यक्त की

वासुदेव टेक्सटाइल मिल्स, प्रतिवादी नंबर 1, एस. के.

कुमारसामी ने कुन्नूर और वेदपति गाँव में संपत्ति लेने का फैसला किया और चिन्नासामी शाखा ने सोमनूर में संपत्ति लेने का फैसला किया। प्रतिवादी संख्या 1 ने दलील दी है कि दिनांक 1 के समझौते के तहत, वादी को प्रतिवादी संख्या 4 को 7 लाख रुपये का भुगतान करना था और प्रतिवादी संख्या 1 को विभाजन द्वारा मूल्यांकन को बराबर करने के लिए प्रतिवादी संख्या 4 को 4 लाख रुपये का भुगतान करना था।

08.03.1981 पर सहमति। श्री गिरि प्रस्तुत करते हैं कि डी. डब्ल्यू. 1 स्वयं इस मामले के साथ आया था कि विभाजन 08.03.1983 पर हुआ था और समझौता आदेश उक्त समझौते के कार्यान्वयन के अलावा और कुछ नहीं था। श्री गिरि प्रस्तुत करते हैं कि जब प्रतिवादी नंबर 1 स्वयं वर्ष 1981 में विभाजन के बारे में कहता है, तो विभाजन संयुक्त परिवार से पहले का है और तीन आर. जनकियामल बनाम।

07.11.1960 से अलग की गई शाखाओं के वर्ष 1981 में फिर से विभाजन करने का कोई सवाल ही नहीं था।

72. हमारे सामने विचार करने योग्य बिंदुओं में से एक यह है कि क्या उस समय जब टाटाबाद का घर प्रतिवादी द्वारा अधिग्रहित किया गया था

संख्या 1 चाहे तीनों शाखाएँ संयुक्त परिवार का हिस्सा थीं या विभाजन के बाद की सभी तीन शाखाएँ दिनांक 07.11.1960 एक दूसरे से अलग रहीं।

73. प्रतिवादी संख्या 1 का आधार पत्र यह है कि परिवार की तीन शाखाएं संयुक्त नहीं थीं क्योंकि इसे दिनांकित विभाजन विलेख द्वारा विभाजित किया गया था।

07.11.1960 . 07.11.1960 दिनांकित विभाजन विलेख तीन शाखाओं के बीच एक पंजीकृत विभाजन विलेख है। 07.11.1960 दिनांकित विभाजन विलेख में पहले के 27.09.1953 दिनांकित विभाजन विलेख का उल्लेख किया गया था, जिसके द्वारा तीन भाइयों के पिता ने अपनी पहली पत्नी के बेटे और दूसरी पत्नी से अपने तीन बेटों के बीच संपत्ति का विभाजन किया था। जिन संपत्तियों को दिनांकित 27.09.1953 विभाजन विलेख में आवंटित किया गया था, वे तीन भाइयों के बीच 86.72 एकड़ थीं। 07.11.1960 दिनांकित विभाजन विलेख में लिखा है:

" 28.09.1953 दिनांकित No.3158/1953 वाला एक दस्तावेज़ कोयंबटूर पंजीयक के कार्यालय में विभाजन के रूप में पंजीकृत किया गया है।

विलेख और 27 सितंबर, 1953 को निष्पादित किया गया है।

जिसमें हमारे भाई सेन्निमलई की संपत्तियां हैं। गौंडर, हमारे पिता ए. वी. कंदासामी गौंडर की पहली पत्नी का बेटा, हमारे और हमारे पिता के बीच। हम उक्त दस्तावेज के अनुसार हम तीनों को आवंटित संपत्तियों का एक परिवार के रूप में आनंद ले रहे हैं और इसे विकसित किया है, बेचा है, इसमें खेती की है और

कारोबार किया। हम आपस में भी बंट गए हैं। जब से हमने आपस में बंटवारे का फैसला किया है, हमने अपने संयुक्त परिवार से संबंधित व्यावसायिक पूंजी को विभाजित किया है।

दिनांकित खाते 1.4.1960। हम पहले से ही रत्नों, बर्तनों और अन्य वस्तुओं को विभाजित कर चुके हैं और हम में से प्रत्येक उनका अलग-अलग आनंद ले रहे हैं। हालाँकि 01.04.1960 पर हमने अचल को विभाजित कर दिया है। भविष्य में हमारे बीच मुकदमेबाजी से बचने के लिए हमने इस दस्तावेज़ के माध्यम से घर की इमारतें, कारखाने की इमारतें, खेत और भूमि जैसी संपत्तियों को पंजीकृत किया है।

74. अपीलार्थी का मामला यह है कि भूमि सीमा कानूनों से संपत्तियों को बचाने के लिए तीन भाइयों के बीच दिनांकित विभाजन विलेख दर्ज किया गया था। भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत प्रासंगिक तिथि 07.04.1960 थी जिस तारीख को [2021] 6 एस. सी. आर. के हाथों में संपत्तियों का विस्तार था।

व्यक्ति निर्धारित किया जाना है और तीन भाइयों के रूप में, जो शामिल थे

संबंधित तिथि पर संयुक्त परिवार के सदस्यों के पास उस भूमि से अधिक थी जिसकी अनुमति किसी व्यक्ति को दी गई थी, भूमि सीमा कानूनों से संपत्तियों को बचाने के लिए एक विभाजन किया गया था। इस तर्क को निचली अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह साबित नहीं हुआ है कि भूमि सीमा कानून किसी भी तरह से तीन भाइयों के हाथों में भूमि के विस्तार को प्रभावित करते हैं। हमें तमिलनाडु भूमि सुधार (भूमि पर अधिकतम सीमा का निर्धारण) अधिनियम, 1961 के कुछ प्रावधानों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अधिनियम की धारा 3, जो एक परिभाषा खंड है, धारा 3 (34) में "व्यक्ति" शब्द को परिभाषित करती है जो निम्नलिखित प्रभाव से हैः

" 3 (34) . " व्यक्ति में कोई भी कंपनी, पारिवारिक फर्म, सोसायटी शामिल है।

या व्यक्तियों का संघ, चाहे निगमित हो या नहीं या कोई

निजी न्यास या सार्वजनिक न्यास "।

75. अधिनियम की धारा 5 में छत क्षेत्र का प्रावधान है। के अनुसार

परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए पांच एकड़ से अधिक अतिरिक्त 5 मानक एकड़ के साथ। यदि हिंदू अविभाजित परिवार, तीन भाइयों वाले संयुक्त परिवार के लिए अधिकतम सीमा क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, तो अधिकतम सीमा क्षेत्र 30 मानक एकड़ होगा, जिसमें परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए पांच एकड़ से अधिक अतिरिक्त भूमि होगी। वर्ष 1960 में तीनों भाइयों के पास जो भूमि थी, वह आईडी1 एकड़ से अधिक थी, जो सीमा 1953 के विभाजन में तीनों भाइयों को प्राप्त हुई थी। इसके बाद तीन भाइयों ने और जमीन का अधिग्रहण किया है। यदि 07.04.1960 विभाजन से पहले तीन भाई अपने संयुक्त परिवार का गठन करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति 30 एकड़ भूमि का हकदार होगा। इस प्रकार, तीन भाइयों के बीच संपत्तियों का विभाजन स्पष्ट रूप से स्वामित्व वाली संपत्तियों के लिए फायदेमंद था। तीनों भाइयों से। निचली अदालत का यह विचार कि यह साबित नहीं हुआ है कि भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत कोई भी लाभ तीन भाइयों द्वारा प्राप्त किया जा सकता था, स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है। निचली अदालत द्वारा व्यक्त किया गया विचार अधिनियम, 1961 के प्रावधानों की जांच के बाद नहीं था। इसके अलावा विभाजन में यह कथन कि तीन भाइयों ने पहले ही अचल संपत्तियों को 01.04.1960 पर विभाजित कर दिया है, स्पष्ट रूप से अधिनियम, 1961 से दूर होने के इरादे से था क्योंकि अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत प्रासंगिक तिथि 07.04.1960 थी।

आर. जनकियामल बनाम। एस. के. कुमारस्वामी (निर्णयित) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से [अशोक भूषण, जे.]

76. हिंदू कानून के तहत संयुक्त परिवार का कोई भी सदस्य अलग हो सकता है।

अधिकतम सीमा अधिनियम, 1961 के लागू होने से बचने के उद्देश्य के साथ। पक्षकारों का इरादा एक प्रासंगिक तथ्य है जब उन्होंने वर्ष 1960 में अपनी संपत्तियों का विभाजन किया था। 77. हालाँकि, 07.11.1960 दिनांकित विभाजन विलेख तीन शाखाओं के बीच एक पंजीकृत विभाजन विलेख है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए कि संपत्तियों को तीन शाखाओं में विभाजित किया गया था

विभाजन कहा। सवाल यह है कि क्या 07.11.1960 के बाद, परिवार एक संयुक्त परिवार के रूप में बना रहा या संयुक्त परिवार की स्थिति 07.11.1960 पर समाप्त हो गई। अपीलार्थी का मामला जिस पर उच्च न्यायालय द्वारा भी दबाव डाला गया था, वह यह था कि भले ही विभाजन दिनांक 07.11.1960 स्वीकार कर लिया गया हो; पक्षकार एक संयुक्त परिवार में रहते थे और अपने संयुक्त परिवार की स्थिति को जारी रखते थे। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्क यह था कि संयुक्त हिंदू परिवार की स्थिति में लौटने के लिए तीन भाइयों के बीच पुनर्मिलन हुआ था, जो 07.11.1960 के बाद के पक्षों के कृत्यों और आचरणों से काफी हद तक साबित होता है।

78. हिंदू कानून में पुनर्मिलन की अवधारणा सर्वविदित है। विभाजित होने पर भी हिंदू संयुक्त परिवार वापस लौट सकता है और जारी रखने के लिए फिर से मिल सकता है

संयुक्त परिवार की स्थिति। हिंदू कानून, 22 वें संस्करण पर मुल्ला, जब पुनर्मिलन पर विचार-विमर्श कर रहा है, तो पैराग्राफ 341,342 और 343 :

" 341. कौन फिर से मिल सकता है,-'संपत्ति में एक पुनर्मिलन ठीक से कहा जाता है, केवल उन व्यक्तियों के बीच हो सकता है जो पक्षकार थे

मूल विभाजन '। इससे यह प्रतीत होता है कि किसी भी व्यक्ति के बीच पुनर्मिलन हो सकता है जो मूल विभाजन के पक्षकार थे। केवल पुरुष ही फिर से मिल सकते हैं। 342. पुनर्मिलन का प्रभाव-पुनर्मिलन का प्रभाव पुनर्मिलन के सदस्यों को एक संयुक्त संगठन के सदस्यों के रूप में उनकी पूर्व स्थिति में भेजना है।

हिंदू परिवार।

343. पुनर्मिलन के गठन के लिए आवश्यक उद्देश्यः एक पुनर्मिलन का गठन करने के लिए, पक्षों का संपत्ति और ब्याज में फिर से जुड़ने का इरादा होना चाहिए। भगवान दयाल बनाम।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि यह एक पुनर्मिलन की अवधारणा में निहित है कि पक्षों के बीच एक समझौता होगा

अपनी पूर्व स्थिति में लौटने के इरादे से संपत्ति में फिर से जुड़ें। इस तरह का समझौता व्यक्त किया जा सकता है या पक्षों के आचरण से निहित हो सकता है। आचरण निर्विवाद चरित्र का होना चाहिए और इसका बोझ संपत्ति रखने वाली पार्टी पर बहुत अधिक पड़ता है।

पुनर्मिलन "।

79. पलानी अम्मल बनाम में प्रिवी काउंसिल।

नुवेंकटचारला मोनीयागर और ओआरएस। , ए. आई. आर. 1925 पी. सी. 49 में छूट है यदि कोई संयुक्त हिंदू परिवार अलग हो जाता है, परिवार या आपका कोई सदस्य एक संयुक्त हिंदू परिवार के रूप में फिर से जुड़ने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन इस तरह का पुनर्मिलन हमारे लिए कारणों से है, जो बहुत ही दुर्लभ घटना के कानून के तहत कई मामलों में लागू होगा, और जब ऐसा होता है तो यह होना चाहिएजैसा कि कोई अन्य विवादित तथ्य साबित होता है। पैराग्राफ 9 में,

परिषद निम्नलिखित निर्धारित करती हैः

" 9. लेकिन केवल यह तथ्य कि सह-भागीदारों के शेयरों का पता लगा लिया गया है, जरूरी नहीं कि अपने आप में एक

अनुमान है कि परिवार अलग हो गया था। कारण हो सकते हैं

एक विचारित तत्काल पृथक्करण के अलावा यह निर्धारित करने के लिए कि एक पृथक्करण पर सह-भागीदारों के शेयर क्या होंगे। अब यह भी संदेह से परे है कि ऐसे संयुक्त परिवार का कोई सदस्य संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों से खुद को अलग कर सकता है और अलग होने पर संयुक्त परिवार की संपत्ति में अपने हिस्से का पता लगाने और उसके लिए विभाजन करने का हकदार है, और शेष सह-भागीदार, बिना किसी विशेष समझौते के, सह-भागीदार बने रह सकते हैं और आनंद ले सकते हैं। एक संयुक्त परिवार के सदस्य जो पारिवारिक संपत्ति के इस तरह के विभाजन के बाद रह गए। यह कि शेष सदस्य संयुक्त बने रहे, यदि विवादित हैं, तो उनके पिछले सह-संस्थापक के बाद उनके पारिवारिक व्यवसाय के तरीके से अनुमान लगाया जा सकता है।

उनसे अलग हो गए। यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि एक संयुक्त हिंदू परिवार अलग हो जाता है, तो परिवार या उसका कोई भी सदस्य एक संयुक्त हिंदू परिवार के रूप में फिर से जुड़ने के लिए सहमत हो सकता है, लेकिन इस तरह का पुनर्मिलन स्पष्ट कारणों से है, जो कई मामलों में लागू होगा। मिताक्षर, बहुत दुर्लभ घटना है, और जब ऐसा होता है तो इसे सख्ती से साबित किया जाना चाहिए क्योंकि कोई अन्य विवादित तथ्य साबित होता है। अग्रणी

उस अंतिम प्रस्ताव के लिए प्राधिकरण बालाबक्स लाधुराम बनाम है। रुखमाबाई (1903) 30 कल।

725. " आर. जनकियामल बनाम। एस. के. कुमारस्वामी (निर्णयित) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से [अशोक भूषण, जे.]

80. एक और निर्णय जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह है

मुक्कू वेंकटरमैया बनाम मुक्कू तातय्या और अन्य में मद्रास उच्च न्यायालय। , एयर 1943 मैड। 538. उपरोक्त मामले में, विभाजन था वर्ष 1903 में परिवार में, जिसके परिणामस्वरूप पिता अपनी दूसरी पत्नी और बच्चों के साथ अलग हो गए और पहली पत्नी द्वारा अपने बेटों से अलग रहने लगे। प्रत्यर्थी का मामला यह था कि 1903 में उनके पिता द्वारा उनसे दूर रहने का फैसला करने के बाद भी वह और उनके भाई संयुक्त बने रहे। एक वैकल्पिक मामला यह भी सामने रखा गया कि विभाजन के बाद भाइयों के बीच पुनर्मिलन हुआ है। मद्रास उच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 5 में कहाः

" 5 .....

. लेकिन अगर एक सामान्य विभाजन के बीच

सभी सदस्य होते हैं, पुनः संघ ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा

संयुक्त स्थिति फिर से स्थापित की जा सकती है। बस निवास में संयुक्तता,

भोजन या पूजा या केवल एक साथ व्यापार करने से कोई नुकसान नहीं हो सकता है।

विभाजित स्थिति का सभी सामान्य के साथ एक संयुक्त स्थिति में रूपांतरण संपत्ति और हित में संयुक्तता की घटनाएं जब तक कि कोई इरादा न हो

हिंदू कानून के अर्थ में फिर से एकजुट होना स्पष्ट है

स्थापित किया गया। नियम यह है कि अगर मैं सम्मान के साथ ऐसा कह सकता हूं, तो सही है। पटना उच्च न्यायालय द्वारा पैन कुर बनाम में कहा गया है। राम नारायण

चौधरी, ए. आई. आर. 1929 पैट। 353 जहाँ विद्वान न्यायाधीश

यह देखते हुए किः

इसे स्थापित करने के लिए, (पुनर्मिलन), न केवल दिखाना आवश्यक है

उन्होंने अपनी स्थिति को बदलने के इरादे से ऐसा किया और अपनी सभी सामान्य घटनाओं के साथ एक संयुक्त संपत्ति बनाने के लिए।

81. उच्च न्यायालय ने माना कि जो भाई अलग हो गए थे, वे जीवित रहे।

और एक साथ व्यापार किया, पुनर्मिलन का मामला स्वीकार कर लिया गया। पैराग्राफ 17 में निम्नलिखित उल्लेख किया गया थाः

" 17. तब सवाल यह है कि क्या यह निष्कर्ष पर्याप्त है।

पुनर्मिलन के मामले का समर्थन करने के लिए। हम जानते हैं कि भार

सबूत उत्तरदाता पर बहुत अधिक होता है और यह भी कि केवल

निवास, भोजन और पूजा कार्यों में संयुक्तता जरूरी नहीं है

बैठक से बाहर। जो स्थापित किया जाना है वह यह है कि न केवल

जिन दलों ने विभाजन किया था वे एक साथ रहते थे और व्यापार करते थे, लेकिन वे

अपनी विभाजित स्थिति को बदलने के इरादे से ऐसा किया संपत्ति में संयुक्तता की सभी सामान्य घटनाओं के साथ एक संयुक्त स्थिति में

और ब्याज। हमारी राय में जिस तरह से भाइयों ने व्यवहार किया [2021] 6 एस. सी. आर.

एक-दूसरे के साथ इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह उनका जानबूझकर पुनर्मिलन करने का इरादा था ताकि संयुक्त स्थिति को पुनः उत्पन्न किया जा सके जो 1903 के विभाजन से पहले मौजूद थी। विभाजन का तत्काल उद्देश्य पिता को पहली पत्नी द्वारा अपने बेटों से अलग रहने में सक्षम बनाना था, क्योंकि उनके बीच गलतफहमी पैदा हो गई थी। जैसा कि बेटों के बीच कभी भी अलग होने का कोई कारण नहीं था और इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि जिस क्षण वे अपने पिता से अलग हुए थे, वे संयुक्त स्थिति में रहना चाहते थे और एक साथ रहना चाहते थे। यह सच है कि उस समय पहला प्रतिवादी नाबालिग था। लेकिन इससे बहुत कम फर्क पड़ सकता है यदि बहुमत प्राप्त करने के बाद उन्होंने उस पद को स्वीकार कर लिया जिसमें अपीलार्थी और नागय्या ने पहले ही एक साथ रहना शुरू कर दिया था। हमारे विचार में यह आवश्यक नहीं है कि पुनर्मिलन के लिए एक औपचारिक और स्पष्ट समझौता होना चाहिए। इस तरह के समझौते को किसी अन्य आधार पर स्पष्टीकरण देने में असमर्थ आचरण के स्पष्ट साक्ष्य से स्थापित किया जा सकता है। हमारे विचार में, यही यहाँ स्थापित स्थिति है। कि ऐसा होने पर, वाद में संपत्तियों के अनन्य स्वामित्व के लिए अपीलार्थी के दावे को नकार दिया जाना चाहिए। अपील विफल हो जाती है और इसलिए इसे लागत के साथ खारिज किया जाना चाहिए।

82. पुनर्मिलन की अवधारणा पर एक और निर्णय जिसकी आवश्यकता है

कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय मेसर्स है।

मानंद एल. बजाज, बैंगलोर बनाम आय आयुक्त

कर्नाटक, द्वितीय, बैंगलोर, (1981) एस. सी. सी. ऑनलाइन कर्नाटक

न्यायमूर्ति रामा जोइस ने स्मृतियों और प्रासंगिक निर्णयों का उल्लेख करने के बाद यह निर्धारित किया कि पुनर्मिलन आयन की प्रक्रिया को उलटना है, निम्नलिखित पैराग्राफ 8 और 12 में आयोजित किया गया थाः

" 8. पुनर्मिलन पर हिंदू कानून का मूल प्रस्ताव रखा गया है।

LXXXV-pp 214-215), स्मृति-चंद्रिका III के माध्यम से भी मैसूर के महाराजा द्वारा प्रकाशित व्यवाहारकंद भाग II (1916) पीपी 702-703; अंग्रेजी संस्करण जे. आर. घरपुरा (1952) भाग III पीपी 667-670)।

वि भत्तो ये पू न-विपत्त रा भारत चाया कत्र सस् थतः।

जो एक बार अलग हो जाता है, वह अपने पिता के साथ स्नेह के माध्यम से फिर से रहता है या पैतृक चाचा को फिर से मिलाया जाता है।

नकियामल बनाम। एस. के. कुमारस्वामी (निर्णयित) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से [अशोक भूषण, जे.]

सृष्टि जो तुम पू न हो, वह तुम पर निर्भर है।

जब दो सह-भागीदार स्नेह के माध्यम से फिर से मिल जाएँगे, तो वे एक-दूसरे की संपत्तियों में पारस्परिक रूप से भाग लेंगे। बृहस्पति के ग्रंथ पर स्मृति चंद्रिका के लेखक देवन्ना भट्ट द्वारा व्यक्त विचार है -

इसके अलावा भी कुछ नहीं है। ायही वजह है कि हार्वीनमीमतभुता बड़े पैमाने पर होती है।

नोदे न वि बक्श तनन पू + देशिकरण + नात्सोउ न पूनः सह संविस्त्मवित मान्तव्यम।

संगठन अनिवार्य रूप से सह-निवास द्वारा नहीं होने के कारण, संगठन को धन के माध्यम से व्यक्त किया जाता है; इसलिए

इसके विशिष्ट कारक को हटाते हुए, यह समझना चाहिए कि अलग किए गए सदस्यों का पुनः संयोजन पहले की तरह (सभी) धन आदि को एक साथ इकट्ठा करने की सीमा तक होगा, न कि केवल एक सह-निवास द्वारा।

Yaj.II 138-139 पर मिताक्षर, जो पुनर्मिलन सदस्यों के बीच विभाजन पर विरासत का विशेष नियम निर्धारित करता है, पुनर्मिलन के प्रभाव को इस प्रकार बताता हैः

हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं और आप सभी को धन्यवाद देते हैं।

जिन प्रभावों को विभाजित किया गया था और जो फिर से एक साथ मिश्रित होते हैं, उन्हें पुनः एकजुट कहा जाता है। वह, जिसके साथ ऐसा संबंध है, एक पुनः संयुक्त भागीदार है।

उपरोक्त प्रावधान कई मामलों में व्याख्या का विषय रहे हैं।

12. इस मुद्दे पर मूल ग्रंथों पर विचार करने पर और

मिताक्षर और स्मृति में व्यक्त किए गए टिप्पणीकारों के विचार चंद्रिका और हमारे सामने उद्धृत मामला कानून और उचित सम्मान रखते हुए

एच. यू. एफ. को नियंत्रित करने वाले हिंदू कानून के वास्तविक उद्देश्य और इरादे के लिए, हमें ऐसा लगता है कि पुनर्मिलन के लिए प्रावधान किया गया है, क्योंकि

एक हिंदू अविभाजित परिवार के पूर्व सदस्यों को एक साथ आने और एक बार फिर एक संयुक्त परिवार बनाने में सक्षम बनाना मिताक्षर कानून। रक्त संबंधों से उत्पन्न होने वाला आपसी प्रेम, स्नेह और वहाँ से आगे बढ़ने की इच्छा, [2021] 6 एस. सी. आर.

यह पुनर्मिलन की नींव है। यह बृहस्पति के पाठ से स्पष्ट है जिसमें उन व्यक्तियों के संबंध भी निर्दिष्ट किए गए हैं जो फिर से मिल सकते हैं, हालांकि कुछ टिप्पणीकारों का मानना है कि यह केवल उदाहरणात्मक है और संपूर्ण नहीं है और उन व्यक्तियों के बीच भी पुनर्मिलन संभव है जो इसमें निर्दिष्ट नहीं हैं।

बृहस्पति का पाठ। (देखिएः विरमित्रोदय, गोपालचंद्र सरकार द्वारा अनुवादित (1879) पीपी 204-205; विवादचिन्तामणि गायकवाड़ की ओरिएंटल श्रृंखला खंड। XCIX pp 288-289)। लेकिन फिर भी इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि पुनर्मिलन केवल उन व्यक्तियों के बीच संभव है जो पहले एचयूएफ के सदस्य थे। इसलिए पुनर्मिलन विभाजन की प्रक्रिया का उलटना है। इसलिए, यह विचार रखना उचित है कि पुनर्मिलन केवल जीने के लिए एक समझौता नहीं है

समान रूप से किरायेदारों के रूप में, लेकिन एक पूर्ववर्ती एचयूएफ के विभाजित सदस्यों के बीच ब्याज और संपत्ति में एक संलयन लाने का इरादा है ताकि उन्हें एक बार फिर एचयूएफ की स्थिति बहाल की जा सके और इसलिए पुनर्मिलन संयुक्त परिवार की संपत्तियों में सभी पुनर्मिलन सह-भागीदारों पर अधिकार पैदा करता है जो उनके बीच विभाजन का विषय थे, इस हद तक कि वे पुनर्मिलन की तारीख से पहले समाप्त नहीं हुए थे। यह होगा कि

स्नेह के माध्यम से फिर से मिल गए हैं, वे एक दूसरे की संपत्तियों में पारस्परिक रूप से भाग लेंगे। मिताक्षरा का कहना है कि विभाजित गुणों का मिश्रण पुनर्मिलन का प्रभाव है। इसलिए यह अनुसरण करता है, कोई सह-भागीदार नहीं, जो एक पुनर्मिलन के लिए एक पार्टी है और जो

पुनर्मिलन स्वीकार करते हुए, यह तर्क देते हुए सुना जाएगा कि जो संपत्ति उन्हें पहले के विभाजन में मिली थी और अभी भी उनके पास है, वह पुनर्गठित एचयूएफ की संपत्ति नहीं बन गई है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि जब पुनर्मिलन विवादित हो तो इसे तथ्य के किसी भी विवादित प्रश्न के रूप में साबित किया जाना चाहिए और यह कि सभी पुनर्मिलन करने वाले सदस्यों ने अपनी संपत्तियों को वापस नहीं लाया है।

सामान्य-स्टॉक, किसी भी संबंधित पक्ष द्वारा ली गई याचिका का समर्थन कर सकता है कि कोई पुनर्मिलन नहीं हुआ था। हालाँकि, यदि पुनर्मिलन के लिए सभी पक्षों द्वारा पुनर्मिलन को स्वीकार किया जाता है या यह साबित हो जाता है, तो पुनर्मिलन के समय पुनर्मिलन के सदस्यों की संपत्तियों का हिस्सा संयुक्त परिवार की संपत्तियाँ बन जाती हैं, इस तथ्य के बावजूद कि उनमें से कुछ उन संपत्तियों को एक-दूसरे की जानकारी या सहमति के साथ या उसके बिना आम पॉट में फेंकने में विफल रहे हैं। यह एक अलग पहलू है यदि आर. जनकियामल बनाम व्यक्तियों द्वारा पुनर्मिलन को स्वीकार नहीं किया जाता है।

जो एक पुनर्मिलन के पक्षकार हैं और यह पुनर्मिलन का अनुरोध करने वाली पार्टी द्वारा साबित नहीं होता है, जिस घटना में कोई पुनर्मिलन नहीं होगा

सभी। "

83. अब हम एक हिंदू अविभाजित परिवार में पुनर्मिलन से संबंधित इस न्यायालय के फैसले पर ध्यान दे सकते हैं। भगवान दयाल बनाम रेवती में

देवी, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 287, इस न्यायालय ने हिंदू कानून के सिद्धांतों और हिंदू संयुक्त परिवार के सिद्धांतों की जांच की। पैराग्राफ 16 में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सामान्य सिद्धांत यह है कि प्रत्येक हिंदू परिवार को संयुक्त माना जाता है जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए; लेकिन इस धारणा का प्रत्यक्ष साक्ष्य या आचरण के माध्यम से खंडन किया जा सकता है। उपरोक्त मामले में, एक सवाल यह था कि क्या विभाजन के बाद संयुक्त परिवार के सदस्यों के बीच पुनर्मिलन हुआ था। इस न्यायालय ने पलानी अम्मल (ऊपर) में प्रिवी काउंसिल के फैसलों को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया और पैराग्राफ 22 में निम्नलिखित निर्धारित कियाः

" 22. इस प्रश्न के सही दृष्टिकोण के लिए, पलानी अम्मल बनाम में न्यायिक समिति की टिप्पणियों को शुरू में उद्धृत करना सुविधाजनक होगा। मुथुवेन्कटचार्ला मोनीयागर

[(1924) एलआर 52 आई. ए. 83,86]:

" यह भी स्पष्ट है कि यदि कोई संयुक्त हिंदू परिवार अलग हो जाता है, तो परिवार या उसका कोई भी सदस्य एक संयुक्त हिंदू परिवार के रूप में फिर से जुड़ने के लिए सहमत हो सकता है, लेकिन इस तरह का पुनर्मिलन स्पष्ट कारणों से है, जो मिताक्षर के कानून के तहत कई मामलों में लागू होगा, बहुत दुर्लभ घटना है, और जब ऐसा होता है तो इसे सख्ती से साबित किया जाना चाहिए क्योंकि कोई अन्य विवादित तथ्य साबित होता है। उस अंतिम प्रस्ताव के लिए प्रमुख प्राधिकारी बाल्डबक्स लाधुराम बनाम है। रुखमाबाई

[(1903) एलआर 30 आईए 190]। "

यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक पुनर्मिलन का गठन करने के लिए पक्षों का संपत्ति और हित में फिर से जुड़ने का इरादा होना चाहिए। पुनर्मिलन की अवधारणा में यह निहित है कि एक समझौता होगा। एक संयुक्त
हिंदू परिवार के सदस्यों की अपनी पूर्व स्थिति में लौटने के इरादे से संपत्ति में फिर से जुड़ने के लिए पक्षों के बीच। इस तरह के समझौते को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कथित रूप से फिर से एकजुट होने वाले पक्षों के आचरण से निहित हो सकता है। लेकिन आचरण इस तरह के निर्विवाद चरित्र का होना चाहिए कि उससे पुनर्मिलन का समझौता अनिवार्य रूप से निहित होना चाहिए। चूंकि पुनर्मिलन का दावा करने वाले दल पर बोझ भारी होता है, इसलिए पुनर्मिलन या सामान्य संयुक्त आनंद के साथ समान रूप से सुसंगत आचरण के अस्पष्ट टुकड़े पुनर्मिलन के अनुरोध को बनाए नहीं रख सकते हैं। कानूनी स्थिति साफ-सुथरी रही है

मेयन के हिंदू कानून, 11 वीं संस्करण में संक्षेपित। , इस प्रकार पी। 569 :

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" चूंकि यह धारणा विभाजन होने तक संघ के पक्ष में है, इसलिए विभाजन के बाद यह धारणा पुनर्मिलन के खिलाफ होगी। इसे स्थापित करने के लिए, यह दिखाना आवश्यक है, न केवल यह कि पक्ष पहले से ही विभाजित थे, रहते थे या एक साथ व्यापार करते थे, बल्कि यह कि उन्होंने अपनी स्थिति को बदलने और इसकी सभी सामान्य घटनाओं के साथ एक संयुक्त संपत्ति बनाने के इरादे से ऐसा किया था। यह स्थापित करने के बोझ को संतुष्ट करने के लिए बहुत ठोस साक्ष्य की आवश्यकता होती है कि उनके बीच समझौते से, एक संयुक्त के विभाजित सदस्य

हिंदू परिवार अपनी स्थिति को इस तरह से बदलने में सफल रहा है कि एक संयुक्त अविभाजित हिंदू परिवार के नए गठन के बाद आने वाले सभी अधिकारों और दायित्वों के भीतर खुद को ला सके।

जैसा कि हम इन टिप्पणियों को अपनी पूरी सहमति देते हैं, हमें विचार करने के अलावा आगे के उद्धरणों के साथ मामले को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

विद्वान महान्यायवादी द्वारा दो निर्णयों पर दृढ़ता से भरोसा किया गया। वेंकटरमैया बनाम। तातय्या [ए. आई. आर. 1943 मैड 538] मद्रास उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ का निर्णय है। वहाँ यह बताया गया था कि "केवल निवास, भोजन या पूजा में संयुक्तता या केवल एक साथ व्यापार करने से धर्म परिवर्तन नहीं हो सकता है।

संपत्ति और हित में संयुक्तता की सभी सामान्य घटनाओं के साथ एक संयुक्त स्थिति में विभाजित स्थिति जब तक कि हिंदू कानून के अर्थ में फिर से एकजुट होने का इरादा स्पष्ट रूप से स्थापित न हो। उक्त प्रस्ताव अप्रत्याशित है, और वास्तव में वह कुआँ है।

स्थापित कानून। लेकिन उस मामले के तथ्यों पर, विद्वान न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि एक पुनर्मिलन हुआ था। वहाँ का विभाजन पहली पत्नी द्वारा एक पिता और उसके बेटों के बीच किया गया था। इनमें से एक बेटा नाबालिग था। सवाल यह था कि क्या कथित विभाजन के तुरंत बाद भाइयों के बीच पुनर्मिलन हुआ था। विद्वान न्यायाधीशों का मानना था कि बेटों के बीच कभी भी अलग होने का कोई कारण नहीं था, और साक्ष्य से पता चलता है कि उनके आचरण पर पुनर्मिलन के अलावा कोई स्पष्टीकरण संभव नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि हालांकि विभाजन के समय भाइयों में से एक नाबालिग था, लेकिन बहुमत प्राप्त करने के बाद, उन्होंने पुनर्मिलन का पद स्वीकार कर लिया। विद्वान महान्यायवादी द्वारा जिन टिप्पणियों पर भरोसा किया गया था, वे इस प्रकार हैं:

" हमारे विचार में, यह आवश्यक नहीं है कि पुनर्मिलन के लिए एक औपचारिक और स्पष्ट समझौता होना चाहिए। ऐसा समझौता हो सकता है

असमर्थ आचरण के स्पष्ट साक्ष्य द्वारा स्थापित किसी भी अन्य आधार पर स्पष्टीकरण "। आर. जनकियामल बनाम।

एस. के. कुमारस्वामी (निर्णयित) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से [अशोक भूषण, जे.]

यह सिद्धांत भी असाधारण है। लेकिन उस मामले के तथ्य वर्तमान मामले में उन लोगों से पूरी तरह से अलग हैं, और

विद्वान न्यायाधीशों द्वारा लिया गया निष्कर्ष हमें पहुंचने में मदद नहीं कर सकता है

तत्काल मामले में एक निष्कर्ष पर।

84. उपरोक्त टिप्पणियाँ इंगित करती हैं कि इस न्यायालय ने भी मंजूरी दी

मुक्कू वेंकटरमैया (ऊपर) में मद्रास उच्च न्यायालय का निर्णय। पुनः यह न्यायालय अनिल कुमार मित्रा और अन्य के मामले में है। बनाम गनेन्द्र नाथ

मित्रा और ओआरएस। , (1997) 9 एस. सी. सी. 725 ने माना कि दलों के कार्यों से यह निष्कर्ष निकल सकता है कि पिछले विभाजन के बाद दल फिर से एकजुट हो गए। पैराग्राफ 4 में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं:

. यह सच है कि पक्षों के कृत्यों से

कि पिछले विभाजन के बाद भी वे सदस्य बने रहे संयुक्त परिवार। लेकिन यह आचरण और उपचार द्वारा होना चाहिए।

इस में परिवार के सदस्यों द्वारा संपत्तियों को दिया गया

ध्यान दें। 85.

अब, हम अभिलेख पर अन्य सामग्रियों को देखते हैं। पूर्वज

पार्टियों का घर हेलमेट, सेडपालयम, गाँव में था।

करुमथमपट्टी में तीन भाई और उनके पिता ए. वी.

कंदास्वामी जीवित रहते थे। डी. डब्ल्यू. 2 ने अपने बयान में यह भी कहा है कि रंगासामी के साथ शादी करने के बाद, वह सेडपालयम में पैतृक घर में रहती थी। इसके अलावा तीनों भाइयों ने वर्ष 1963 में हेम्लेट-सोमनूर में मकान खरीदा और एक नए घर का निर्माण किया जहां तीन भाई अपने परिवारों के साथ सोमनूर में रहने लगे जो तीन भाइयों के संयुक्त परिवार का नया घर बन गया। नया घर वर्ष 1963 में जमीन खरीदने के बाद बनाया गया था और तीनों भाइयों के परिवार लगभग 1964 में रहने लगे, जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सभी भाइयों का इरादा संयुक्त रूप से रहने और संयुक्त हिंदू परिवार के रूप में बने रहने का था। विभाजन तिथि 07.11.1960 के बाद, तीन शाखाओं ने एक साथ कई अचल संपत्तियों की खरीद की है, जिनका विवरण इस प्रकार है:

पक्ष में प्रदर्शन ए-42 के रूप में दाखिल किया गया दिनांक 09.06.1962 का बिक्री विलेख

(i)

(ए) K.Rangasamy, (बी) S.K.Kumarasamy और (सी)

5.6 एकड़ की सीमा तक भूमि का S.K.Chinmasamy

करुमथमपट्टी गाँव।

(ख)

16.10.1963 दिनांकित बिक्री विलेख जिसे प्रदर्शनी के रूप में दाखिल किया गया है

ए-43। बिक्री विलेख द्वारा, निर्माण के लिए संपत्ति खरीदी गई थी। केवल घर का वह तथ्य जो बिक्री विलेख में ही बताया गया था।

21] 6 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिक्री विलेख तीन भाइयों के नाम पर था (ए) K.Rangasamy, (बी) S.K.Kumarasamy और (सी)

S.K.Chinmasamy।

14.09.1972 पर, तीन बिक्री विलेखों द्वारा जो इस रूप में दायर किए गए थे

iii)

प्रदर्शनी ए-41, बी-10 और बी-11 में कुन्नूर में स्थित विशाल संपत्ति, हाई फील्ड एस्टेट, खरीदी गई थी। नाम S.K.Kumarasamy, S.R.Somasundaram (अपनी माँ श्रीमती जानकीम्मल की संरक्षकता में नाबालिग), S.R.Shammugha वेलसिउथम जिसमें परिवार की संपत्ति है

कारोबार किया।

86. तीनों शाखाओं ने फर्मों और कंपनियों की स्थापना करके संयुक्त व्यवसाय जारी रखा, जिन्हें साझेदारी में या निजी कंपनी द्वारा संयुक्त परिवार द्वारा चलाया जाता था। यह केवल परिवार के सदस्य थे, जो शेयरधारक और निदेशक थे। विभिन्न प्रकार की अचल वस्तुओं की खरीद

तीनों शाखाओं के नाम की संपत्तियां स्पष्ट रूप से इस इरादे को दर्शाती हैं कि तीनों शाखाएं संयुक्त हैं और वे संपत्तियों की खरीद कर रहे हैं।

तीनों शाखाओं के नाम पर। वर्ष 1967 में रंगासामी की मृत्यु के बाद, यह एस. के. कुमारसामी, प्रतिवादी नंबर 1 थे, जिन्होंने

परिवार की बागडोर सबसे बड़ी होती है। वादी और प्रतिवादी रणगासामी के बेटे उस समय बहुत छोटे थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद वे प्रतिवादी नंबर 1 के मार्गदर्शन और नियंत्रण में थे और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से संकेत मिलता है कि यह प्रतिवादी नंबर 1 था जिसके मार्गदर्शन में सभी व्यवसाय किए गए थे। यहां तक कि 1984 का मुकदमा No.37 जो संपत्तियों के विभाजन के लिए दायर किया गया था

प्रतिवादी सं. 1 का उदाहरण, जो उस वाद के वादी द्वारा 1987 के वाद सं. 1101 में लिखित बयान दायर करते समय किया गया है। 1984 के सूट No.37 के वादी सेंथिल कुमारवेल ने 1987 के सूट नंबर 1101 में अपने लिखित बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने प्रतिवादी नंबर 1 के कहने पर 1984 का सूट No.37 दायर किया है, जो तथ्य निचली अदालत के फैसले के पैराग्राफ 9 में भी नोट किया गया है।

87. यह ध्यान देने योग्य है कि 1987 के मुक़दमे No.1101 में, केवल डी-1 था, जिसने लिखित बयान दायर किया और गवाह बक्से में पेश हुआ।

डी-4, एस. के. चिन्नासामी ने न तो लिखित बयान दायर किया और न ही गवाह के पास आए। यह डी-1 था जो दलील दे रहा था कि विभाजन दिनांक 07.11.1960 के बाद संयुक्त परिवार समाप्त हो गया। डी-1 ने अपने लिखित बयान में और अदालत के समक्ष अपने मौखिक बयान में यह मामला उठाया है कि <आई. डी. 1 पर संपत्तियों का विभाजन किया गया था और तीन शाखाओं के बीच एक समझौता किया गया था और आर. जनकियामल बनाम.

एस. के. कुमारस्वामी (निर्णयित) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से [अशोक भूषण, जे.]

06.08.1984 वर्ष 1981 में किए गए समझौते को लागू करने के लिए पारित किया गया था। डी-1 से डी-3 द्वारा पैराग्राफ 16 और 17 में दायर लिखित बयान में डी-1 द्वारा निम्नलिखित निवेदन किया गया थाः

" 16 ..... सह-स्वामित्व को समाप्त करने की व्यवस्था 1981 में भी की गई थी और अलग स्वामित्व पर सहमति बनी थी। इसलिए कोई प्रतिनिधित्व या आश्वासन नहीं हो सकता है।

जैसा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है।

17 ..... चूंकि विभिन्न मदों के विभाजन और आवंटन के तरीके पर पहले सहमति हो चुकी थी और चौथे प्रतिवादी को राशियों का भुगतान किया गया था, इसलिए समझौता सुचारू रूप से एक प्रारंभिक तिथि पर किया गया था और उसके संदर्भ में डिक्री पारित की गई थी। फरमान भी दर्ज कर लिया गया है। समझौते की शर्तों पर पक्षों को समझौते में शामिल किया जा रहा था

सलाह दी कि दिनांकित समझौते का उल्लेख करना आवश्यक नहीं था

08.03.1981 समझौते में "।

88. रंगासामी की शाखा सहित विभिन्न शाखाओं के नाम पर 08.03.1981 दिनांकित समझौते द्वारा सभी संपत्तियों के विभाजन का मामला प्रतिवादी संख्या 1 का मामला था जो सबसे बड़ा था।

परिवार का सदस्य और 07.11.1960 के बाद से परिवार की संयुक्तता से इनकार कर रहा है। डी-1 एस. के. चिन्नासामी गवाह पेटी में डी. डब्ल्यू-2 के रूप में उपस्थित हुए। डी. डब्ल्यू.-2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा दिनांक 10.04.1997 में कहाः -

" मार्च, 1981 में, हमने सामान्य संपत्तियों को विभाजित किया। 08.03.1981 पर हमने इसे घटाकर एक लिखित समझौते में बदल दिया, जो स्टाम्प पेपर पर लिखा गया था, और हमने उसी पर हस्ताक्षर किए। मैं स्वयं, चौथे, सातवें और दसवें प्रतिवादी

और वादी ने उस पर हस्ताक्षर किए। तीन प्रतियाँ ली गईं। वही दाखिल नहीं किया गया है। हम सभी ने तीनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। हमने संपत्तियों में अपने-अपने शेयरों पर कब्जा कर लिया। 08.03.1981 के बाद सामान्य संपत्तियाँ संयुक्त कब्जे में नहीं थीं।

और सभी का सामान्य आनंद "।

89. आगे 11.08.1997 पर उनकी प्रतिपरीक्षा में, D-2 आगे

कहा गयाः -

" ..... मैंने कहा था कि सभी संपत्तियों का विभाजन 1981 में किया गया था।

1981 में तय की गई व्यवस्था को डिक्री के तहत 1984 में लागू किया गया था। कुछ भी नया नहीं किया गया। मार्च, 1981 में तय की गई व्यवस्था के अनुसार, वासुदेव मिल के पास 16 एकड़ भूमि और इमारतें और मिल से संबंधित मशीनरी हैं।

मेरे बड़े भाई की शाखा को आवंटित किया गया था। "[2021] 6 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निचली अदालत ने पैराग्राफ 28 में अपने फैसले दिनांक 30.09.1997 में

आयोजितः

रंगासामी ब्रदर्स। स्वामी टेक्सटाइल्स, रेंगाविलास वारफिंग एंड साइजिंग फैक्ट्री और यह कि यह मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी प्रमाण के माध्यम से साबित हो गया था और यह कि Ex.A12 दस्तावेज़ के माध्यम से, वादी और 10 वां प्रतिवादी मिल के प्रबंधन में थे और यह स्पष्ट रूप से साबित हो गया था और 08.03.81 के बाद, पहले प्रतिवादी ने संपत्ति में अधिकार प्राप्त कर लिया था और यह स्पष्ट रूप से Ex.B67 के माध्यम से साबित होता है और यह कि यह स्टॉक है साइफील्ड टी फैक्ट्री में रखा गया रजिस्टर और यह कि यह प्रकट करेगा कि मार्च, 1981 तक और 10 वें प्रतिवादी ने रजिस्टर में हस्ताक्षर किए थे और उसके बाद पहले प्रतिवादी ने उसी में हस्ताक्षर किए थे, यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 69 गेट पास में भी यह ऊपर के रूप में पाया गया है और इससे यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि 1981 के बाद, उपरोक्त समझौता लागू किया गया था और यह स्पष्ट रूप से साबित हो गया है और वादी की ओर से यह संकेत दिया गया था कि यह कहना गलत है कि कुन्नूर, वीरकेरलम में संपत्ति पहले प्रतिवादी की हिरासत में है और सोमनूर में संपत्तियां चौथे प्रतिवादी के पास हैं और

कि वादी ने साक्ष्य में स्वीकार किया था कि उसने कुन्नूर में संपत्ति का प्रबंधन नहीं किया था, और इससे यह स्पष्ट रूप से है

यह पता चला कि उपरोक्त समझौता लागू किया गया था।

90. पैराग्राफ 159 में, ट्रायल कोर्ट ने फिर से कहा कि वर्ष 1981 का समझौता वास्तविक है और इसे लागू किया गया था और डीडब्ल्यू-1 का तर्क स्वीकार्य पाया गया है।

91. 08.03.1981 दिनांकित समझौते को वादी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। वादी का मामला यह था कि किसी भी समय, तीन शाखाओं के नाम पर खड़ी संपत्तियों को विभाजित करने के लिए वर्ष 1981 में पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं हुआ था। 08.03.1981 दिनांकित समझौता था

डी-1 द्वारा साक्ष्य में दाखिल नहीं किया गया। समझौता न तो प्रतिवादी द्वारा दायर किया गया था और न ही प्रदर्शित किया गया था, डी-1।

92. 1984 के ओ. एस. No.37 में डी-1 द्वारा दायर लिखित बयान में, दिनांकित 08.03.1981 समझौते के संबंध में कोई याचिका नहीं ली गई थी।

आर. जनकियामल बनाम। एस. के. कुमारस्वामी (निर्णयित) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से [अशोक भूषण, जे.]

डी-1 द्वारा 1987 के मुकदमे No.1101 में दायर लिखित बयान में पहली बार 08.03.1981 दिनांकित समझौते का उल्लेख किया गया था। वर्ष 1981 में तीन शाखाओं के बीच संपत्तियों के विभाजन को साबित करने के लिए न तो कोई समझौता दायर किया गया था या साबित किया गया था और न ही रिकॉर्ड पर कोई अन्य सबूत है।

93. यह प्रतिवादी संख्या 1 का मामला है कि दिनांकित समझौता डिक्री 06.08.1984 समझौते के कार्यान्वयन के अलावा और कुछ नहीं है।

दिनांकित 08.03.1981। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि डी-1 का मामला यह है कि तीन शाखाओं के नाम पर स्थित सभी संपत्तियों का विभाजन किया गया था और

08.03.1981 पर विभिन्न शाखाओं को आवंटित किया गया है, जो

बाद में दिनांक 06.08.1984 की सहमति डिक्री द्वारा लागू किया गया। प्रतिवादी के मामले के अनुसार, वासुदेव टेक्सटाइल मिल्स रंगासामी की शाखा को दी गई थी, कुन्नूर में संपत्ति डी1 द्वारा ली गई थी और सोमनूर में संपत्ति डी-4 द्वारा ली गई थी।

94. जब डी-1 इस मामले के साथ आता है कि तीन शाखाओं के नाम पर खड़ी सभी अचल संपत्तियों का 08.03.1981 पर विभाजन किया गया था, जिसे 06.08.1984 पर लागू किया गया था, तो यह निष्कर्ष अटूट है कि परिवार संयुक्त था और यदि तीन शाखाएं संयुक्त हिंदू परिवार का हिस्सा नहीं थीं, तो 08.03.1981 पर किसी भी विभाजन का प्रयास करने का कोई अवसर नहीं था जैसा कि डी-1 द्वारा दावा किया गया था। तथ्य यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 इस मामले के साथ आ रहा है कि 18.03.1981 पर ही विभाजन था

यह साबित करता है कि स्वयं डी-1 के मामले के अनुसार तब तक तीन शाखाएँ संयुक्त थीं।

95. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वादी ने कभी भी समझौते को स्वीकार नहीं किया

दिनांकित 08.03.1981 या 08.03.1981 का कथित विभाजन, इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि पक्ष संयुक्त रहे और संपत्तियां तीन के नाम पर खड़ी रहीं। 06.08.1984 पर सहमति आदेश पारित होने तक शाखाएँ संयुक्त रहीं।

96. इस प्रकार, वर्ष 1979 में जब प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर टाटाबाद की आवासीय संपत्ति प्राप्त की गई थी, तो तीनों शाखाएँ थीं -

संयुक्त हिंदू परिवार का हिस्सा और संयुक्त हिंदू परिवार के एक सदस्य के नाम पर खरीदी गई घर की संपत्ति सभी के लाभ के लिए थी।

97. हालाँकि नीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने डी-1 द्वारा अनुरोध किए गए 18.03.1981 दिनांकित विभाजन को स्वीकार कर लिया, लेकिन इस पर विचार नहीं करने में गलती की

इस तरह के अनुरोध का परिणाम। जब सभी अचल वस्तुओं का विभाजन और 08.03.1981 पर चल संपत्तियों का दावा किया जाता है, यह निष्कर्ष अटूट है कि परिवार तब तक शामिल हुआ था। डी-1

द्वारा स्थापित सिद्धांत कि 07.11.1960 के बाद तीनों शाखाएँ अलग थीं, को 08.03.1981 पर विभाजन के दावे द्वारा अस्वीकार/गलत माना जाता है।

98. निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने बहुत जोर दिया है

इस तथ्य पर कि 1967 के बाद तीन शाखाएँ अलग-अलग आयकर विवरणी और धन कर विवरणी दाखिल कर रही थीं। संयुक्त हिंदू परिवार का एक व्यक्तिगत सदस्य आय के तहत अपने अलग-अलग रिटर्न बहुत अच्छी तरह से दाखिल कर सकता है।

कर अधिनियम के साथ-साथ धन कर अधिनियम और इस तरह के विवरणी दाखिल करना परिवार की स्थिति के बारे में निर्णायक नहीं था। वादी का पूरा मामला यह था कि 07.11.1960 और D-1 के बाद परिवार संयुक्त बना रहा, जिन्होंने अकेले लिखित बयान दायर किया था और 08.03.1981 पर विभाजन के मामले के साथ गवाह बॉक्स में उपस्थित हुए थे, जिसे वह समझौता डिक्री द्वारा 06.08.1984 पर लागू करने का दावा करता है, यह साबित होता है कि परिवार संयुक्त था।

कम से कम तब तक, यानी 08.03.1981 या 06.08.1984। इस प्रकार, वर्ष 1979 में, जब टाटाबाद आवासीय संपत्ति का अधिग्रहण किया गया था, तो तीनों शाखाएं संयुक्त थीं।

99. टाटाबाद आवासीय संपत्ति तीनों शाखाओं के लाभ के लिए थी जो इस तथ्य से आगे साबित होती है कि उक्त राशि के लिए डी. डब्ल्यू.-1 द्वारा अपने अलग खाते से या नकद में भुगतान नहीं किया गया था। यह राशि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्वामी एंड स्वामी प्लांटेशन प्राइवेट लिमिटेड से ली गई थी, जिसमें तीनों शाखाएं शेयरधारक और निदेशक थीं। स्वामी एंड स्वामी प्लांटेशन कंपनी ने कंपनी के लिए टाटाबाद में आवासीय संपत्ति नहीं खरीदी थी। स्वामी और स्वामी बागान निजी कंपनी आवासीय संपत्ति की मालिक नहीं है और टाटाबाद में आवासीय संपत्ति तीनों शाखाओं के लाभ के लिए एक संयुक्त पारिवारिक संपत्ति है।

100. इस प्रकार हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि टाटाबाद आवासीय संपत्ति में तीनों शाखाओं की समान हिस्सेदारी है, अर्थात 1987 के मूल वाद No.1101 में शिकायत की अनुसूची 'बी' की मद संख्या एक्स। यह आवासीय संपत्ति 1984 के O.S.No.37 का हिस्सा नहीं होने के कारण, वादी द्वारा उक्त संपत्ति के विभाजन की मांग करने पर कोई रोक नहीं है। तदनुसार हम घोषणा करते हैं कि वादी/प्रतिवादी संख्या 7, प्रतिवादी संख्या 1 और प्रतिवादी संख्या 4 मुकदमे की संपत्ति की अनुसूची 'बी' की उपरोक्त वस्तु संख्या एक्स में संयुक्त रूप से एक तिहाई हिस्से के हकदार हैं (प्रत्येक का एक तिहाई हिस्सा के. रंगासामी शाखा, एस. के. कुमारासामी शाखा और एस. के. चिन्नासामी शाखा को)। तदनुसार, उपरोक्त संपत्ति के लिए विभाजन के लिए एक प्रारंभिक डिक्री तैयार की जाएगी।

101. 2016 की सिविल अपील No.1537 और 2016 की सिविल अपील संख्या 1538 की आंशिक रूप से अनुमति है। नतीजतन, 1987 का मूल सूट No.1101 अनुसूची 'बी' की मद संख्या एक्स के विभाजन का आदेश देते हुए, ऊपर दर्शाई गई सीमा तक आदेश दिया गया है, अर्थात, "कोयंबटूर जिले में पंजीकरण, कोयंबटूर निगम सीमा, टाटाबाद, डॉ. अलगप्पा आर. जनकियामल बनाम।

एस. के. कुमारस्वामी (निर्णयित) कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से [अशोक भूषण, जे.]

चेट्टियार रोड, D.No.101,4500 वर्ग किलोमीटर के साथ 0.3 एकड़ का विस्तार। फीट। निर्मित-एक आवासीय भवन "।

102. पक्षकारों को एक उपयुक्त अंतिम डिक्री पारित करने के लिए निचली अदालत के समक्ष आवेदन करने की स्वतंत्रता है और ऐसा आवेदन निम्नलिखित के लिए है -

विचारण न्यायालय द्वारा कानून के अनुसार निपटाया जाए।

103. दल अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

देविका गुजराल